Tijaria Polypipes Limited

TIJARIA®
AN ISO-9001:2015 CERTIFIED COMPANY
NATIONAL AWARD WINNER

Date: 08/05/2026

To TheManager, DepartmentofCorporateServices BSELimited, PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code: 533629	To ListingCompliances, National Stock Exchange of India Limited ExchangePlaza, BandraKurlaComplex, Mumbai-400051 NSE Symbol: TIJARIA

Dear Sir/Madam

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

SUB: Order of District and Sessions Court Jaipur Metropolitan for acquitted of the alleged offence Dated 17/03/2026

Ref: Order of Additional Chief Judicial Magistrate, Jaipur, Rajasthan with District and Sessions Court Jaipur, Rajasthan

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, Please find enclosed herewith the Copy of Acquittal Order Received from District and Sessions Court Jaipur Metropolitan.

This is for your information and records please.

ThankingYou.
For Tijaria Polypipes Limited

Praveen Jain Tijaria
Digitally signed by Praveen Jain Tijaria
Date: 2026.05.08 18:27:55 +05'30'

Praveen Jain Tijaria
Whole Time Director
Din No.00115002

Encl: As Above

PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:
A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area
Jaipur-302013 (Raj.) India
Tel : 0141-2333722
E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:
SP-1-2316, RIICO Industrial Area
Ramchandrapura, Sitapura Extn.
Jaipur-302022 (Raj.) India.
CIN - L25209RJ2006PLC022828

...य प्रतिलिपि शाखा (जजेज/ए.सी.जे.एम.)
जिला न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय
प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि संख्या 11323
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक 7-5-26
प्रतिलिपि किये कुल पृष्ठ संख्या 71
प्रतिलिपि शुल्क/फोटो शुल्क 106.00
प्रतिलिपि फोटो स्टेट का नाम MHE
प्रतिलिपि देने की निश्चित दिनांक 8-5-26
प्रतिलिपि तैयार करने की तारीख ....
प्रतिलिपि देने की तारीख..........

प्रतिलिपि प्रति पौराल
न्यायालय ....स्पतमी.......... जयपुर महानगर
किस्म मुकदमा फौ०
मुकदमा नम्बर 10/26
पक्षकारों का नाम आलोक पौराल
नाम सरकार
तारीख दायर 6-5-26

8/5/26

न्यायालयः विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण) राजस्थान, जयपुर एवं अपर सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : **प्रदीप कुमार द्वितीय, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या : **10/2026**

सी.आई.एस. संख्या : **257/2026**

1. **आलोक जैन तिजारिया** प्रबंध संचालक कम्पनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

2. **विकास जैन तिजारिया,** उम्र 56 वर्ष, पूर्णकालिक संचालक कम्पनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

3. **विनीत जैन तिजारिया,** उम्र 52 वर्ष, पूर्णकालिक संचालक कम्पनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

4. **प्रवीण जैन तिजारिया,** उम्र 54 वर्ष, पूर्णकालिक संचालक कम्पनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

5. **संतोष कुमार संचालक,** उम्र. 66 वर्ष, कम्पनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाडी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर।

6. **पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर,** उम्र 77 वर्ष, संचालक कम्पनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी–6 कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

—अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1. **राजस्थान सरकार** जरिए लोक अभियोजक।
2. **कम्पनी रजिस्ट्रार,** जयपुर राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

फौजदारी अपील अन्तर्गत धारा 415 बी.एन.एस.एस. विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.03.2026 द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मीना, आर जे एस, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर–द्वितीय, जयपुर अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण संख्या 9/2015 (444/15) उनवानी सरकार बनाम आलोक जैन वगैरह अन्तर्गत धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री उमा शर्मा व उदय शंकर आचार्य, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री आदित्य सहल, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या–2

:: आदेश :: दिनांक : 06.05.2026

1. यह फौजदारी अपील अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **आलोक जैन तिजारिया वगैरह** द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा प्रकरण संख्या 9/2015 (444/15) उनवानी सरकार बनाम आलोक जैन वगैरह अन्तर्गत धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 दिनांक 17.03.2026 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा न्यायालय ने अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में दोषसिद्धी कर धारा 63 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अपराध में प्रत्येक को 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,000/– रूपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 68 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अपराध में प्रत्येक को 3 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास व 6,000/– रूपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के आरोप में प्रत्येक को 1 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/– रूपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया था, इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान, जयपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व एक परिवाद कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के अंतर्गत इस आशय का पेश किया कि दिनांक 27.11.2023 को परिवादी चन्द्रप्रकाश सैनी ने पुलिस थाना आमेर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड परिवादी के कार्यालय में पंजीकृत कंपनी है जिसके पास शेयर पूंजी है और वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 17.07.2006 को पंजीकृत की गई थी। अभियुक्तगण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 7/46/2012–सीएल–II दिनांक 06.09.2012 की अनुपालना में कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक राजस्थान जयपुर द्वारा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स व रिकॉर्ड का निरीक्षण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209ए के तहत किया गया। कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्ट्स दिनांक 12.09.2011 कंपनी के व्यवसाय के विस्तार एवं विविधता हेतु परिवादी कार्यालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड इक्विटी शेयर्स रुपये दस प्रत्येक का, जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रुपये साठ का आईपीओ कुल रुपये साठ करोड का जारी किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी ने पाया कि कंपनी के निदेशक मण्डल की मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में कंपनी के व्यवसाय खर्चों के लिए लोन लेने हेतु प्रस्ताव पारित किया। कंपनी द्वारा लिए गये आईसीडी एवं इनके पुनर्भुगतान के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं करके तथ्यों को छिपाया गया। इस कारण निवेशकों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी नहीं देकर तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन किये। अभियुक्तगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यों को छिपाते हुए झूठे कथन किये जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कंपनी द्वारा लिये गये आईसीडी का भुगतान आईपीओ में से किया गया, जबकि उक्त भुगतान प्रोस्पेक्ट्स के

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

उद्देश्य या जारी करने से संबंधित उपयोगिता की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं था। कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में पृष्ठ 56 पर यह दर्शित किया कि जारी किये गये इश्यू से संबंधित कोई ब्रिज लोन नहीं लिया है जबकि इश्यू के उद्देश्यों से संबंधित विवरण में यह अंकित था कि वर्किंग केपिटल मार्जिन हेतु रुपये 8.6 करोड एवं कंटीजेन्सीज हेतु 2.8 करोड प्रस्तावित थे परन्तु आईसीडी के भुगतान के बारे में कुछ भी अंकित नहीं था। इस प्रकार कंपनी नें आईसीडी के भुगतान करने के संबंध में इश्यू से संबंधित प्रक्रिया में कोई खुलासा नहीं किया। इस प्रकार कंपनी एवं निदेशकगण द्वारा प्रोरपेक्ट्स में मिथ्या सूचना दी, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रोस्पेक्ट्स के पृष्ठ 76 पर के मद इंटरिम यूज ऑफ प्रोसीड में यह अंकित किया गया कि इश्यू में प्राप्त बकाया राशि का उपयोग विभिन्न प्रकार निवेश करने में किया जाएगा। यद्यपि कंपनी द्वारा इश्यू से प्राप्त राशि में से आईसीडी का पुनर्भुगतान करना प्रोस्पेक्ट्स में दिए गए विवरणों में सम्मिलित नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा लिये गये आईसीडी की राशि का उपयोग प्रमोटर्स/प्रमोटर्स के संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करने में किया गया। अतः आईपीओ से प्राप्त राशि में से प्रमोटर्स/उनके संबंधियों को उनके लोन का पुनर्भुगतान करने के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं किया जो कि प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यात्मक रूप से दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में मिथ्या कथन है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रोस्पेक्ट्स के पेज नम्बर 18 पर यह कथन किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन एग्रीमेंट में यह पारस्परिक स्वीकृति है कि कंपनी के असुरक्षित ऋण में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तन के पूर्व बैंक से इस संबंध में लिखित स्वीकृति लेगी। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर मिड कारपोरेट ब्रांच ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स की तिथि से पहले आईसीडी लेने के संबंध में कोई लिखित स्वीकृति नहीं ली। उक्त प्रकार से स्वीकृति लेने हेतु लोन एग्रीमेंट के अनुसार प्रोस्पेक्ट्स में कथन किया गया है। अतः प्रोरपेक्ट्स में उपरोक्त प्रकार से दिए गए स्टेटमेंट कंपनी अधिनियम

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

1956 की धारा 65(1) के क्लॉज के अनुसार अनटू की परिभाषा में आता है एवं प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यात्मक रूप से झूठे हैं जो कंपनी अधिनियम की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय है। कंपनी के विरुद्ध आईपीओ के संबंध में सेबी के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी। सेबी द्वारा किये गये अनुसंधान के दौरान कंपनी के निदेशक ने यह सूचित किया कि कंपनी ने दिनांक 23.05.2011 को रुपये एक करोड हैराल्ड कॉमर्स लिमिटेड एवं 09.06.2011 को रुपये 75,00,000/– बाहुबली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से आईसीडी ली। उक्त आईसीडी माह सितम्बर 2011 से पूर्व ली गई थी, किन्तु उक्त आईसीडी का खुलासा प्रोस्पेक्ट्स में अनसिक्योर्ड लोन्स मद के अंतर्गत नहीं किया गया था। इस बाबत यह भी पाया कि माह मई व जून 2011 में उपरोक्त ली गई आईसीडी के बारे में मर्चेन्ट बैंकर्स के समक्ष कोई खुलासा नहीं किया गया था। कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रकार से किये गये कार्य को अप्रूव करने हेतु कोई बोर्ड मीटिंग नहीं की गई थी, इस संबंध में कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 15.07.2011 द्वारा मर्चेन्ट बैकर्स को इस प्रकार सूचित किया कि वर्तमान में इस तरह की कोई भौतिक प्रगति नहीं है जो कि कंपनी के संचालन एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हो। इस प्रकार कंपनी एवं इसके निदेशकगण द्वारा उपरोक्त प्रकार से ली गई दो आईसीडी का विवरण प्रोस्पेक्ट्स में नहीं देना व मर्चेन्ट बैंकर्स को इस बारे में कोई सूचना प्रेषित नहीं करना कंपनी अधिनियम की धारा 628 के अंतर्गत तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन की परिधि में आता है। कंपनी द्वारा इसके विस्तार एवं विविधिकरण प्रोजेक्ट में आयतित एवं स्वदेशी मशीनरी हेतु क्रमश रुपये 50.25 करोड एवं रुपये बारह करोड राशि प्रस्तावित थी। इसी क्रम में कंपनी ने लगभग रुपये 10.13 करोड विदेशी मशीनरी एवं रुपये 5.76 करोड स्वदेशी मशीनरी पर दिनांक 15 जुलाई 2011 तक खर्च किये। आईपीओ फण्ड्स एवं इसके उपयोग से संबंधित स्टेटमेंट से यह प्रकट होता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्ट्स में दर्शाई गई राशि के अनुसार आयातित एवं स्वदेशी मशीनरी पर खर्च नहीं किये एवं प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किये। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किये एवं तथ्यों को छिपाया जो

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उपरोक्त उल्लंघन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान जयपुर निरीक्षण अधिकारी ने पत्र कमांक ROC/inspn/209A/22828/2012-13/2035 दिनांक 31.12.2013 द्वारा कंपनी एवं उसके डाइरेक्टर्स से स्पष्टीकरण मांगा जिसका दिनांक 13.02.2014 को जवाब दिया गया जो असंतोषजनक पाया गया। उक्त उल्लंघन के लिए परिवादी कार्यालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.07.2014 को जारी किया गया था जिसका कोई जवाब परिवादी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ ..... आदि। जिस पर नियमानुसार जांच के उपरान्त दिनांक 20.01.2015 को अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 628 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज किया जाकर विचारण प्रारम्भ किया गया।

3. अभियुक्तगण को कम्पनी अधिनियम की धारा **63, 68, 628** का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 63, 68, 628 का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन–समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.–1 इमरान अहमद सिद्दकी, पी.डब्ल्यू.–2 रमेश कुमार मीना, पी.डब्ल्यू.–3 बनवारी लाल शर्मा की साक्ष्य लेखबद्व करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन, प्रदर्श पी–2 प्रोस्पेक्टस तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड, प्रदर्श पी–3 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् जयपुर द्वारा रीजनल डाइरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कोरपोरेट अफेयर्स अहमदाबाद को लिखा गया पत्र दिनांकित 20.03.2014, प्रदर्श पी–4ए कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज्, जयपुर द्वारा जारी पत्र दिनांकित 31.12.2013, प्रदर्श पी–5ए तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज्, जयपुर को लिखा गया पत्र दिनांकित 13.02.2014, प्रदर्श पी–6ए से पी 11ए शॉ कॉज नोटिस, प्रदर्श पी–12 एनुअल रिटर्न, प्रदर्श पी–13 परिवाद, प्रदर्श पी–14 से प्रदर्श पी–18 सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 2A(a) ऑफ द बैंकर्स बुक्स ऑफ एवीडेंस एक्ट 1891 प्रदर्शित करवाया गया।

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

5. अभियुक्तगण को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताते हुये निर्दोष होना व झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा यह भी कथन किया कि आईसीडी और उसके पुनर्भुगतान के संबंध में उन्होंने पासपोर्ट में झूठे तथ्य अंकित नहीं किये हैं इश्यू से संबंधित कोई झूठे बयान प्रोस्पेक्ट में नहीं किया गया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, इस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

6. न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 17.03.2026 पारित कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डादेश से दण्डित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई।

7. बहस अपील सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का कहना है कि हस्तगत् प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गलत मूल्यांकन कर पत्रावली पर अपीलार्थीगण को दण्डित किए जाने की पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर भी दोषसिद्धी करार दिया गया है, जो अपास्तनीय है। अपीलार्थी का अन्य तर्क कि जहां तक धारा 628 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है उक्त धारा के साधारण अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध केवल किसी सब्सक्राइबर द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् का उक्त धारा के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं बनता है। आज दिनांक तक आरओसी द्वारा किसी भी सब्सक्राइबर द्वारा की गई कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है। अतः इस आधार पर धारा 628 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अपराध बनना सम्भव नहीं है। परिवादी के परिवाद का स्कोप बहुत ही

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

लिमिटेड है तथा यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के अंतर्गत दायर परिवाद में न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्ट्स में कोई मिथ्या कथन किया गया जो कि मेटेरियल फैक्ट है एवं उसको दर्शाने की Statutory या Ligal requirement है अथवा नहीं। मात्र इस आधार पर कि कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्राप्त धनराशि का निवेश या उपयोग नहीं किया गया है यह नहीं माना जा सकता कि उक्त धाराओं का उल्लंघन हुआ है। प्रोस्पेक्ट्स में कथन करना तथा उसके पश्चात् उसमें किए गए तथ्यों का पालन न किया जाना दोनों अलग–अलग विषय है। परिवादी पक्ष की ओर से मनमाने तरीके से अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियुक्तगण की ओर से दौराने बहस कथन किया कि कंपनी को परिवाद में पक्षकार नहीं बनाया है। कंपनी के अपराधों के संबंध में परिवाद सीधे तौर पर निदेशकों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया हो परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे तर्क है कि प्रकरण परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया है। वर्तमान परिवाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा कम्पनी तिजरिया पोलिपैईप्स के निदेशकों के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया है कि अभियुक्तगण ने वर्ष 2011 में Initial Public Offer लाते समय अपने प्रॉस्पेक्टस में गलत कथन किए तथा जिसके माध्यम से जुटाई गई धनराशि का दुरुपयोग किया गया। वर्तमान परिवाद परिवादी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अभियुक्त कंपनी तथा उसके निदेशकों द्वारा उक्त धाराओं के उल्लंघन के आरोप में दायर की गई है, जो निम्न प्रकार है–

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

63- CRIMINAL LIABILITY FOR MIS-STATEMENTS IN PROSPECTUS

(1) Where a prospectus issued after the commencement of this Act includes any untrue statement every person who authorised the issue of the prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to 1 (fifty) thousand rupees or with both unless he proves either that the statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe and did up to the time of the issue of the prospectus believe that the statement was true.

(2) A person shall not be deemed for the purposes of this section to have authorised the issue of a prospectus by reason only of his having given (a) the consent required by section 58 to the inclusion therein of a statement purporting to be made by him as an expert or (b) the consent required by subsection (3) of section 60.

68- PENALTY FOR FRAUDULENTLY INDUCING PERSONS TO INVEST MONEY

Any person who either by knowingly or recklessly making any statement promise or forecast which is false, deceptive or misleading, or by any dishonest concealment of material facts, induces or attempts to induce another person to enter into or to offer to enter into (a) any agreement for or with a view to acquiring disposing of subscribing for or underwriting shares or debentures or (b) any agreement the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit to any of the parties from the yield of shares or debentures or by reference to fluctuations in the value of shares or debentures shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

628- PENALTY FOR FALSE STATEMENTS

If in any return, report, certificate, balance sheet, prospectus, statement or other document required by or for the purposes of any of the provisions of this Act, any person makes a statement (a) which is false in any material particular] knowing it to be false or (b) which omits any material fact knowing it to be material. he shall save as otherwise expressly provided in this Act, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.

उपर्युक्त धारा 63 के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध तभी बनता है, जब प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत अथवा झूठा कथन किया गया हो। इसी प्रकार, धारा 628 के अंतर्गत अपराध तब ही बनता है जब प्रॉस्पेक्टस में किसी मटेरियल पर्टिकुलर के संबंध में गलत अथवा झूठा कथन किया गया हो अथवा किसी मटेरियल फैक्ट को जानबूझकर छुपाया गया हो। इसके अतिरिक्त, धारा 68 के अंतर्गत अपराध तभी बनता है, जब किसी सब्सक्राइबर को आकर्षित करने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत तथ्यों का कथन किया गया हो। केवल इस आधार पर कि प्रॉस्पेक्टस की शर्तों का पालन नहीं किया गया, इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक धारा 628 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध केवल किसी सब्सक्राइबर द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का उक्त धारा के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु कोई locus standi नहीं बनता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा किसी भी सब्सक्राइबर द्वारा की गई कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है। अतः इस आधार पर धारा 628 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अपराध बनना संभव नहीं है।

Pradip 9/5/26

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत दायर परिवाद में न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में कोई असत्य या मिथ्या कथन किया गया है जो की material बिज है एवं उसको दर्शाने की statutory या legal requirement है अथवा नहीं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों का दायित्व एवं ज़िम्मेदारी तभी उत्पन्न होता है जब प्रॉस्पेक्टस में किए गए कथन असत्य या झूठे हों, न कि उन मामलों में जहाँ कंपनी ने बाद में उन कथनों के अनुसार कार्य नहीं किया हो। वर्तमान वाद अधिकतम रूप से केवल प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित टर्म्स की अनुपालना न करने का मामला जो कि परिवाद के पैरा नंबर 5 से 12 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अतः उक्त मामला धारा 63, 68 एवं 628 को आकर्षित करने हेतु अनिवार्य तत्वों को पूर्ण नहीं करता। इसलिए वर्तमान परिवाद त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत **Dr. T. H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & Anr. (2014) 182 Comp. Cas 13 IJ reliance place** में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:–

21. Curiously, this is an activity of the company after receipt of money through public issue. I am afraid that if the company did not invest the monies in the manner as promised in the prospectus, it cannot be considered to be a violation of statement in the prospectus. The issuance of a statement through the prospectus and not abiding by the promises made in the prospectus are two distinct activities altogether So far as sections 63, 68 and 628 of the Act are concerned] the directors become liable for punishment if the statements in the prospectus are not true and not if the statements made in the prospectus have not been adhered to by the company. I therefore, regret my inability to agree with the contention of the

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

learned Assistant Solicitor General that the statements made in the prospectus have not been carried out] which is evident through various subsequent balance sheets and that petitioner& accused No. 2, as a director of accused No. 1 company consequently is liable for punishment under sections 63, 68 and 628 of the Act.

न्यायिक दृष्टांत **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India (2021 SCC Online SAT 263)** में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:–

"20. If the IPO proceeds were not utilized in the manner stated in the prospectus it doesnot mean that the subsequent action taken by the Company indicates that there was a misstatement in the prospectus. At best one could come to the conclusion that there was a violation of the terms and conditions of the prospectus with regard to the use of funds.

25. The finding given by the WTM for usage of the word 'corporate' in the resolution of the Board of Directors to indicate that the disclosures so made lacked material particulars and were untrue and inadequate and further that such misstatement in the prospectus was deliberate and part of a larger design to come out with an IPO and divert the IPO proceeds through ICDS to group companies from the very inception is patently perverse apart from being based on surmises and conjectures. In our opinion, a subsequent event-decision by the Company cannot lead to an adverse inference being drawn nor can it lead to a conclusion that the prospectus of the Company was misleading the subscribers. Such finding is based on no evidence. If a statement made in the prospectus is not adhered to by the Company it does not become a misstatement. At best it can be a case of the Company violating the terms and conditions of the prospectus. Thus, the finding that the

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

disclosures made in the prospectus were deliberately lacking in material particulars and were inadequate is patently erroneous.

परिवादी ने अपने परिवाद में यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्तगण द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है, यह कहते हुए कि अभियुक्तगण ने उस बोर्ड रेज़ोलुशन का विवरण नहीं किया, जो प्रॉस्पेक्टस की तिथि से मात्र दो दिन पहले अर्थात् 10.09.2011 को पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा 12.5/– करोड़ की राशि का ऋण (इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट) लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त लेन–देन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में प्रकट नहीं की गई थी। जिसके सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि दिनांक 10.09.2011 को केवल एक बोर्ड रेज़ोलुशन धारा 292 of Companies Act, 1956 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसके द्वारा कंपनी तिजारिया पीवीपाईप्स को ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस की तिथि से पूर्व कंपनी में कोई भी ऋण राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त प्रस्ताव मात्र board of directors को Loan लेने हेतु दी गई एक अनुमति थी, न कि कोई पूर्ण अथवा निष्पादित लेन–देन। अतः ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसका disclosure करना अनिवार्य था और जिसे किसी भी रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना नहीं कहा जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस पेज नंबर 149 पर कंपनी द्वारा निदेशकों की उधार लेने की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार board of directors 20,000 लाख रूपए तक की सीमा के भीतर किसी भी राशि का Loan ले सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि न तो किसी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है और न ही कोई material concealment की गई है, क्योंकि ऋण लेने की power का स्पष्ट उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में किया गया है तथा कथित राशि उक्त सीमा के अंतर्गत आती है।

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

परिवादी द्वारा अपने परिवाद में यह आरोप भी लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स लिए थे तथा आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उक्त इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के भुगतान हेतु किया गया, जिसका उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में नहीं था और इस आधार पर इसे मिथ्या कथन बताया गया है। यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि प्रॉस्पेक्टस के इशू की तिथि से पूर्व कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि admittedly केवल एक बोर्ड रेज़ोल्यूशन ही पारित किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रॉस्पेक्टस में इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स से संबंधित किसी भी प्रकार के विवरण का उल्लेख करने का कोई अवसर उत्पन्न ही नहीं हुआ। इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स का उल्लेख न किया जाना अपने आप में किसी भी प्रकार का मिथ्या अथवा असत्य कथन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है। केवल इस आधार पर कि प्रॉस्पेक्टस में अंतरिम उपयोग (interim use of fund) के अंतर्गत इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स शब्द का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, इसे न तो प्रॉस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन कहा जा सकता है और न ही इसे इस आशय से जोड़ा जा सकता है कि इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स लाने के पश्चात group कंपनी के संचालन के लिए इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के माध्यम से धनराशि का गलत उपयोग अथवा उसे siphon off कर लिया गया है। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में अभियुक्तगण **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India (2021 SCC Online SAT 263)** के निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि :–

"21. The mere fact that the word "ICDs" was not indicated specifically in the interim use of funds in the prospectus does not mean that the interim use of funds cannot be deployed in the ICDs and can only be deployed to such instruments which were indicated in the prospectus.

11/05/26
प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

22. In P.G. Electroplast Vs. SEBI in appeal no. 281 of 2017 decided on 25th June, 2019 the appellant, in the said case, had disclosed in the prospectus that the Company intended to invest the IPO proceeds in an interest bearing instrument. The Company subsequently invested the IPO proceeds in ICDs which was objected by SEBI. This Tribunal held that non mention of ICDs in the prospectus was only technical and it cannot be a case of misstatement.

23. Merely because the word 'ICD' was not mentioned in the interim use of funds in the prospectus does not become a case of misstatement in the prospectus nor does it become a deliberate part of larger design to come out with an IPO and thereafter, funding the operations of its group company through ICDs thereby siphoning of the money from the genuine investors.

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मात्र इस कारण से कि प्रॉस्पेक्टस में 'ICDs' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसे किसी भी प्रकार का मिथ्या कथन अथवा तथ्यों का छिपाना नहीं माना जा सकता है। अतः वर्तमान वाद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत नहीं आता है, इस कारण परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।

संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि उक्त राशि का प्रयोग expansion के उद्देश्य से मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कंपनी द्वारा बाद में जो ऋण प्राप्त किया गया था, उसका उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया गया तथा जब IPO प्रोसिड्स से धनराशि प्राप्त हुई, तब उसी का उपयोग उक्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्णतः प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुरूप ही किया गया है।

6.5.26

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने बैंक के साथ सहमत शर्तों के उल्लंघन में कंपनी में deposits स्वीकार किए हैं। यह तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा कथित रूप से ऋण लिए जाने के संबंध में संबंधित बैंक द्वारा आज तक कोई भी शिकायत नहीं की गई है। अतः परिवादी द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे माननीय न्यायालय को भ्रमित कर अभियुक्तगण को नुकसान पहुँचाने की नीयत से किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के Schedule II में निर्दिष्ट प्रारूप/नियमों के अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में केवल पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों से संबंधित डेटा का ही खुलासा करना अनिवार्य है। उपर्युक्त के आलोक में यह कहा जाता है कि वर्तमान मामले में कथित बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 10.09.2011 को पारित किया गया था अर्थात प्रॉस्पेक्टस दायर करने से केवल दो दिन पूर्व। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची II अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में ऐसे किसी भी बोर्ड प्रस्ताव का विवरण देने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान दिनांक 23.05.2011 एवं 09.06.2011 को प्राप्त राशियों के संबंध में किए गए कथनों पर भी समान रूप से लागू होता है। उक्त राशियां 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्राप्त हुई थी, अतः उनका विवरण प्रॉस्पेक्टस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य नहीं था क्योंकि केवल पिछले 5 financial years तक का डेटा प्रस्तुत करना ही आवश्यक था, जिसकी पालना कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस के पेज 174 पर पूर्व में विधिवत रूप से किया जा चुका है। उक्त तथ्य कंपनी अधिनियम, 1956 की Schedule II में सम्मिलित प्रॉस्पेक्टस के नियम के तहत Financial Information के अंतर्गत उप–धारा 2 ए और बी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि :–

2. If the Company has no subsidiaries, the report shall-a so far as regards profits and losses, deal with the profits or losses of the company (distinguishing items of a non-recurring

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

nature) for each of five financial years immediately preceding the issue of the prospectus and b so far as regards the assets and liabilities, deal with the assets and liabilities of the company at the last date to which the accounts of the company were made up.

अतः यह कोई महत्त्वपूर्ण सूचना नहीं है और न ही किसी प्रकार की किसी महत्वपूर्ण सूचना का दमन हुआ है। Without Prejudice यहाँ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि परिवादी द्वारा उक्त धनराशि के पुनर्भुगतान को IPO से प्राप्त आय से किए जाने के संबंध में कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है। समस्त परिवाद स्वयं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर आधारित है और वह भी लगभग तीन वर्षों की देरी के पश्चात प्रस्तुत की गई है, जिसे अभियोजन हेतु निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विधि की स्थापित स्थिति है कि अभियोजन में परिवादी पर यह दायित्व होता है कि वह आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे। हालांकि, प्रस्तुत मामले में परिवादी इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। इसी आधार पर ही प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए।

कंपनी के किसी भी शेयरहोल्डर/सब्सक्राइबर द्वारा कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के झूठे कथन या गलत विवरण के संबंध में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, न ही प्रॉस्पेक्टस के कारण किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान हुआ है। यह तथ्य श्री आर. के. मीना पी.डब्ल्यू–2 (अधिकारी जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की), के cross examination से भी स्पष्ट है। उन्होंने साक्ष्य में कहा कि "उन्हें याद नहीं कि कंपनी ने अन्य संस्थाओं से ऋण लिया था या उन राशियों का भुगतान अन्य कंपनियों को किया गया था। उन्हें याद नहीं कि कंपनी की किसी क्रिया के कारण किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान

Backup

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

हुआ हो। उन्हें याद नहीं कि कंपनी द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के गलत विवरण या महत्वपूर्ण छुपाव के आरोप में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के समक्ष कोई शिकायत दर्ज की गई हो। अर्थात, कोई शिकायत नहीं हुई। उन्हें ऋण राशियों के भुगतान की तिथि या अवधि याद नहीं है।" उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न तो किसी शेयरहोल्डर को कोई हानि हुई और न ही किसी प्रकार की शिकायत दर्ज की गई जिस कारण वर्ष उक्त परिवाद ख़ारिज होने योग्य है।

उनका आगे तर्क है कि प्रस्तुत वाद में परिवादी ने केवल कंपनी के निदेशकों को पक्षकार बनाया है जबकि कंपनी को स्वयं पक्ष नहीं बनाया गया है क्योंकि यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि कंपनी के अपराधों के संबंध में की किया गया परिवाद सीधे तौर पर निदेशकों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि कंपनी को स्वयं अभियुक्त पक्ष नहीं बनाया गया हो। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाना योग्य है।

1. WITHOUT PREJUDICE TO THE ABOVE THE PARAWISE REPLY OF THE WRITTEN ARGUMENTS FILED BY THE COMPLAINANT ROC IS AS UNDER :-

यह कि पैरा नंबर 1 से 3 में लिखित तथ्य असत्य व मनमाने है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा में किए गए दावों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि परिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 और 628 के अंतर्गत कोई मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः उक्त कंपनी के निदेशकों पर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है। यह कथन करना अनिवार्य है कि कंपनी ने विधिवत रूप से प्रॉस्पेक्टस जारी किया है, जिसमें न तो किसी प्रकार का झूठा कथन किया गया है और न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया गया है क्योंकि सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से अंकित की गई हैं। प्रॉस्पेक्टस कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का पूर्ण पालना करते हुए तैयार किया गया है। अतः इस संबंध में कोई आपराधिक या कानूनी मामला सिद्ध नहीं होता। परिवाद खारिज किया जाना

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

चाहिए, क्योंकि यह केवल कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध दायर किया गया है जबकि परिवाद से स्पष्ट है कि उक्त परिवाद कंपनी द्वारा किया गए आरोपित अपराध के बारे में है, और कंपनी को स्वयं पक्ष नहीं बनाया गया है।

पैरा संख्या 4 में कथन किये गए आरोपों को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि अभियुक्त द्वारा प्रॉस्पेक्टस में कोई असत्य कथन नहीं किया गया है फिर भी without prejudice यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सकारात्मक अथवा आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करना, अपने आप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अपराध नहीं बनाता क्योंकि उक्त धाराओं के आवश्यक तत्व इस मामले में पूर्ण नहीं होते है। यह स्पष्ट है कि परिवादी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान परिवाद लेकर आया है तथा माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। पैरा संख्या 5 के तथ्यों का खंडन किया जाता है क्योंकि प्रॉस्पेक्टस के इशु की तिथि को कंपनी द्वारा इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के नाम पर कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी। उस समय केवल निदेशक मंडल द्वारा भविष्य में ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी को अधिकृत करने के उद्देश्य से एक बोर्ड रेज़ोलुशन पारित किया गया था। अतः ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसका disclosure करना अनिवार्य था और जिसे किसी भी रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना नहीं कहा जा सकता है। जिस बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर संपूर्ण परिवाद प्रस्तुत किया गया है, वह उक्त बोर्ड प्रस्ताव आज दिनांक तक परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। Without Prejudice यह भी उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस के पेज नंबर 149 पर कंपनी द्वारा निदेशकों की उधार लेने की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार board of directors 20,000 लाख तक की सीमा के भीतर किसी भी राशि का Loan ले सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि न तो किसी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है और न ही कोई material concealment की गई है, क्योंकि ऋण लेने की power का स्पष्ट उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में किया गया है तथा कथित राशि उक्त सीमा के अंतर्गत आती है।

प्रदीप (कुमार) द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

पैरा संख्या 6 से 8 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में अभियुक्तों द्वारा कोई भी असत्य कथन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशु होने की तिथि से पहले कंपनी द्वारा कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि उक्त राशि का प्रयोग expansion के उद्देश्य से मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कंपनी द्वारा बाद में जो ऋण प्राप्त किया गया था, उसका उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया गया तथा जब IPO प्रोसिड्स से प्राप्त धनराशि प्राप्त हुई, तब उसी का उपयोग उक्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्णतः प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुरूप ही किया गया है। Without Prejudice यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि मात्र प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों अनुसार धनराशि का उपयोग न किया जाना मात्र से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत कोई अपराध स्थापित नहीं होता। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत **Dr. T. H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & Anr. (2014) 182 Comp Cas 13** में reliance place की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय ने उपरोक्तानुसार प्रतिपादित किया है। यहाँ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि उक्त परिवाद परिवादी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 65 के अंतर्गत दायर ही नहीं किया गया है तथा इसे केवल धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत ही दायर किया गया है। अतः इस कारण धारा 65 के अंतर्गत परिवादी द्वारा किए गए किसी भी कथन को अभिलेख पर लिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

पैरा संख्या 9 एवं 10 की विषयवस्तु का उक्त प्रकार से खंडन किया जाता है क्योंकि संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था। अन्य सभी कथनों/आरोपों का पूर्णतः खंडन किया जाता है। पैरा संख्या 11 की विषयवस्तु को पूर्णतः

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

manipulated एवं misconceived बताते हुए खंडन किया जाता है क्योंकि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध तभी बनता है जब प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत कथन किया गया हो। केवल इस आधार पर कि प्रॉस्पेक्टस की शर्तों का पालन नहीं किया गया, इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

पैरा संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा अपने परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने इंटर–कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स (ICD) लिए थे तथा आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उक्त ICD के भुगतान हेतु किया गया, जिसका उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में नहीं था। यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि प्रॉस्पेक्टस के इशू की तिथि से पूर्व कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट (Inter-Corporate Deposit) प्राप्त नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रॉस्पेक्टस में इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स से संबंधित किसी भी प्रकार के विवरण का उल्लेख करने का कोई अवसर उत्पन्न ही नहीं हुआ। इंटर–कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स का उल्लेख न किया जाना अपने–आप में किसी भी प्रकार का मिथ्या कथन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है। केवल इस आधार पर कि प्रॉस्पेक्टस में funds के अंतरिम उपयोग (interim use of funds) के अंतर्गत ICD शब्द का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, इसे न तो प्रॉस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन (misstatement) कहा जा सकता है और न ही इसे इस आशय से जोड़ा जा सकता है कि IPO लाने के पश्चात group कंपनी के संचालन के लिए इंटर कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के माध्यम से धनराशि का गलत उपयोग अथवा उसे siphon off कर लिया गया है। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, अभियुक्तगण ने न्यायिक दृष्टांत **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India (2021 SCC Online SAT 263)** का हवाला दिया है। जिससे स्पष्ट है कि मात्र इस कारण से कि प्रॉस्पेक्टस में "ICDs" शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसे किसी भी

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

प्रकार का मिथ्या नहीं माना जा सकता है। अतः वर्तमान वाद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत नहीं आता है।

पैरा संख्या 9, 14 व 16 का खंडन किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 के Schedule II में लिखे प्रारूप/नियमों के अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में केवल पिछले पाँच वित्तीय वर्षों से संबंधित डेटा का ही खुलासा करना अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान दिनांक 23.05.2011 एवं 09.06.2011 को प्राप्त राशियों के संबंध में किए गए कथनों पर भी समान रूप से लागू होता है। उक्त राशियाँ 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् (ubsequent) प्राप्त हुई थीं, अतः उनका विवरण प्रॉस्पेक्टस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य नहीं था क्योंकि केवल पिछले 5 financial years तक का डेटा प्रस्तुत करना ही आवश्यक था, जिसकी पालना कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस के पेज 174 पर पूर्व में विधिवत रूप से किया जा चुका है। उक्त तथ्य कंपनी अधिनियम, 1956 की Schedule- II में सम्मिलित प्रॉस्पेक्टस के नियम फ़ॉर्मेट के तहत Financial Information के अंतर्गत उप–धारा 2 ए व बी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

पैरा संख्या 17 की विषयवस्तु का खंडन किया जाता है क्योंकि समस्त परिवाद स्वयं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर आधारित है और वह भी लगभग तीन वर्षों की देरी के पश्चात प्रस्तुत की गई है, जिसे अभियोजन हेतु निर्णायक प्रमाणके रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विधि की स्थापित स्थिति है कि अभियोजन में परिवादी पर यह दायित्व होता है कि वह आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे। हालांकि, प्रस्तुत मामले में परिवादी इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। इसी आधार पर ही प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए। पैरा संख्या 18, 19 व 20 की विषयवस्तु का उक्त प्रकार से खंडन किया जाता है। यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सकारात्मक अथवा आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करना, अपने आप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत

Pradeep

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

अपराध नहीं बनाता क्योंकि उक्त धाराओं के आवश्यक तत्व इस मामले में पूर्ण नहीं होते है। इस संदर्भ में **Hemendra Prasad Nag Chowdary and Others Vs. Registrar of Companies and Another (Para 10)** निर्णय पर reliance place की जा रही है। अतः परिवादी द्वारा दायर परिवाद को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत हर्जे और खर्चे सहित फरमाए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए –

1. (2014) 1 ALT (Crl) 67 Dr. T.H. Chowdary Vs The Registrar of Companies & The State or Andhra Pradesh
2. Misc. Application No. 791 of 2021 Mohandas Shenoy Vs Securities and Exchange Board of India
3. Aneeta Hada vs M/S Godfather Travels & Tours pvt. ltd on 27 April, 2012 Supreme Court of India
4. Sunil Bharti Mittal vs Cbi on 9 January 2015 Air 2015 Supreme Court 923
5. Criminal Appeal No. 11 of 2025 Sanjay Dutt & Ors versus The state of Haryana & anr. S.C. of India
6. M/S. Dalmia Bharat Ltd vs The Assistant Registrar of Companies on 26 August, 2022 Madras High Court
7. (2014) 182 Comp Cas 13 : 2013 SCC Online AP 867 Dr. T.H. Chowdary versus Registrar of Companies
8. 2021 SCC online SAT 263 Mohandas Shenoy Adige 2 vs Securities and Exchange Board of India

8. दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.202 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधि की त्रुटि नहीं है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे आरोप प्रमाणित मानकर विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। कम्पनी ने अपने व्यवसाय के विस्तार एवं विविधता हेतु दिनांक 12.09.2011 को एक

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

प्रोस्पेक्टस (प्रदर्श पी–2) परिवादी कार्यालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रोस्पेक्टस में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु 1,00,00,000 (एक करोड़) इक्विटी शेयर्स रु. 10/– प्रत्येक का, जिस पर 50/– रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रु. 60/– का आई.पी.ओ. कुल 60 करोड़ का जारी किया गया। प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना की लागत रु. 108.52 करोड़ थी और आई.पी.ओ. से जुटाई गई 60 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग विस्तार एवं विविधीकरण परियोजना के लिए किया जाना था। परियोजना के क्रियान्वयन की समय–सारणी के अनुसार यह कार्यवाही अक्टूबर, 2011 तक पूरी होनी थी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 7/46/2012–CL-II दिनांक 06.09.2012 की अनुपालना में कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान, जयपुर द्वारा कम्पनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड का निरीक्षण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए के तहत किया गया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी (पी.डब्ल्यू.–2 श्री रमेश कुमार मीना) ने निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएँ एवं उल्लंघन पाए। कम्पनी के निदेशक मण्डल की मीटिंग दिनांक 10.09.2011 (प्रोस्पेक्टस दिनांक 12.09.2011 से मात्र दो दिन पूर्व) में कम्पनी के व्यवसाय खर्चों के लिए निम्नलिखित पार्टियों से लोन लेने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

पार्टी का नाम	अधिकतम ऋण राशि
निहिता फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., मुंबई	50 लाख रु.
मरीन जेम्स प्रा. लि., सूरत	75 लाख रु.
संजीवनी जेम्स प्रा. लि., सूरत	25 लाख रु.
वेलिसिमा इम्पेक्स	9.5 करोड़ रु.
वेलिसिमा इम्पेक्स	50 लाख रु.
बालासरिया होल्डिंग्स, कोलकाता	1 करोड़ रु.
कुल	12.5 करोड़ रु.

6/05/26

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

अपीलार्थी का यह कथन कि प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ संख्या 56 पर कम्पनी ने यह घोषित किया था कि उसने वर्तमान निर्गम की प्राप्तियों के विरुद्ध कोई ब्रिज लोन नहीं लिया है, यह कथन पूर्णतया मिथ्या एवं असत्य था, क्योंकि कम्पनी ने दिनांक 10.09.2011 को ही उपरोक्त आई.सी.डी. लेने का प्रस्ताव पारित किया था और वास्तव में ये ऋण प्राप्त भी किए थे। आई.पी.ओ. प्राप्तियों का आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान में सीधा उपयोग कम्पनी के बैंक अकाउंट की जांच करने पर पता चला कि कम्पनी ने आई.पी.ओ. से प्राप्त 60 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 45.40 करोड़ रुपये की राशि दिनांक 13.10.2011 को निम्नलिखित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी:

Name of the Entity	Date of Transfer	Amount
Aaria Polypipies Ltd*	13.10.2011	25,00,00,000
Shri Nath Trading Co.	13.10.2011	2,00,00,000
Neelkanth Enterprise	13.10.2011	2,00,00,000
VKR International	13.10.2011	50,00,000
Shastika Enterprise	13.10.2011	50,00,000
Sanjivani Gems Pvt Ltd.	13.10.2011	25,20,548
Shareware Finvin Pvt Ltd.	13.10.2011	50,10,274
Bellisima Implex	13.10.2011	10,36,67,123
Marine Gems Pvt. Ltd.	13.10.2011	75,89,384
Balasaria Holdings Pvt. Ltd.	13.10.2011	1,01,04,795
Nihita Financial Services Pvt Ltd.	13.10.2011	2,51,30,685
Total		**45,40,22,809**

*Cash credit account

यह राशि उन्हीं आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त की गई जिनका कोई उल्लेख प्रोस्पेक्टस में नहीं था। प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ संख्या 57 पर "ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू" में यह कहीं भी उल्लिखित नहीं था कि आई.पी.ओ. से प्राप्त राशि का उपयोग आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान में किया जाएगा। यह एक भौतिक तथ्य (Material Fact) का गोपन था। प्रोस्पेक्टस के पूर्व लिए गए आई.सी.डी. का प्रकटीकरण न करना, सेबी (SEBI) द्वारा की गई जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस की तिथि से पूर्व भी निम्नलिखित आई.सी.डी. लिए थे, जिनका प्रोस्पेक्टस में

प्रदीप कुमार पंचोली
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

"अनसिक्योर्ड लोन्स" के अन्तर्गत कोई खुलासा नहीं किया गया। दिनांक 23.05.2011: हेराल्ड कॉमर्स लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए व दिनांक 09.06.2011 बाहुबली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 75 लाख रुपए थे। आई.सी.डी. राशि का प्रवर्तकों/सम्बन्धित व्यक्तियों को हस्तांतरण निरीक्षण में यह भी पाया गया कि शेयरवेयर फिनविन प्रा. लि. से दिनांक 10.10.2011 को 50 लाख रुपये का आई.सी.डी. लिया गया और उसी दिन उसमें से 35 लाख रुपये अभियुक्त आलोक जैन तिजारिया को तथा 14.30 लाख रुपये माया जैन तिजारिया को हस्तांतरित कर दिए गए। दिनांक 13.10.2011 को आई.पी.ओ. प्राप्तियों से इस आई.सी.डी. का पुनर्भुगतान कर दिया गया। यह स्पष्ट रूप से आई.पी.ओ. धनराशि का दुरुपयोग (डायवर्जन) था। कम्पनी के तुलन पत्र (Balance Sheet) 2010–11 के पृष्ठ 41, अनुसूची 19 "Related Party Disclosures" (प्रदर्श पी–15) से यह स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित (क) समूह कम्पनियाँ एवं KMP (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) सम्बन्धित पक्ष थे। (क) समूह कम्पनियाँ : तिजारिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तिजारिया इंटरनेशनल लिमिटेड, तिजारिया विनाइल प्रा. लि.; (ख) KMP : श्री आलोक जैन तिजारिया (MD), श्री विकास जैन तिजारिया (WTD), श्री विनीत जैन तिजारिया (WTD), श्री प्रवीण जैन तिजारिया (WTD) इन सम्बन्धित पक्षों को ही आई.पी.ओ. निधियों से किये गये उक्त 45.40 करोड़ रूपए के भुगतानों में से महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ।

तुलन पत्र 2010–11 के "अनसिक्योर्ड लोन" खण्ड (पृष्ठ 17) में यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 31.03.2011 को "Loans directors unsecured रुपए 1,49,45,559/–" तथा "Other debt unsecured रुपए 25,00,000/–" थे परन्तु इन असुरक्षित ऋणों के स्त्रोत तथा अपीलार्थीगण से जुड़ाव का विवरण प्रॉस्पेक्टस में नहीं दिया गया। इसी तुलन पत्र के नोट (10) में "interest free loan of Rs- 25 lacs to group concern" का ऑडिटर द्वारा उठाया गया आक्षेप भी अभिलेख पर है। बैंक ऑफ इंडिया के ऋण करार का उल्लंघन प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ संख्या 18 पर यह कथन किया

प्रदीप कुमार/द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

गया था कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए ऋण करार में यह प्रतिबंधात्मक शर्त है कि असुरक्षित ऋणों में किसी भी परिवर्तन से पूर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी। जाँच में बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर मिड कॉर्पोरेट ब्रांच ने पुष्टि की कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस की तिथि से पहले आई.सी.डी. लेने से पूर्व ऐसी कोई लिखित अनुमति नहीं ली थी। मशीनरी पर प्रस्तावित व्यय का मिथ्या विवरण प्रोस्पेक्टस में आयातित मशीनरी पर 50.25 करोड़ रु. एवं स्वदेशी मशीनरी पर 12 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित था। 15 जुलाई, 2011 तक कम्पनी ने आयातित मशीनरी पर 10.13 करोड़ रु. एवं स्वदेशी मशीनरी पर 5.76 करोड़ रु. खर्च किए थे। आई.पी.ओ. फंड्स एवं इसके उपयोग से संबंधित स्टेटमेंट (30.06.2012 तक) से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने आयातित मशीनरी पर मात्र 13.35 करोड़ रु. एवं स्वदेशी मशीनरी पर 23.17 करोड़ रुपए ही खर्च किए। इस प्रकार प्रोस्पेक्टस में किए गए कथन असत्य थे। फर्जी परचेज ऑर्डर के माध्यम से धनराशि का डायवर्जन: निरीक्षण में यह पाया गया कि कम्पनी ने वी.आर. इंटरनेशनल, नीलकंठ इंटरप्राइजेज, श्रीनाथ ट्रेडिंग कम्पनी एवं शास्तिका इंटरप्राइजेज को मशीनरी की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान किया। ये सभी संस्थाएँ कम्पनी की प्रथम बार की आपूर्तिकर्ता थीं, फिर भी कम्पनी ने उन्हें 100% अग्रिम भुगतान कर दिया। 31 मार्च, 2012 तक न तो कोई मशीनरी प्राप्त हुई और न ही अग्रिम राशि वापस ली गई। परचेज ऑर्डर की क्रम संख्याओं में विसंगतियाँ थीं (04.10.2011 और 10.10.2011 के ऑर्डर की क्रम संख्या 12.10.2011 के ऑर्डर से अधिक थी), जिससे यह सिद्ध होता है कि ये परचेज ऑर्डर फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। उक्त कृत्यों के फलस्वरूप सेबी ने अपने दिनांक 28.12.2011 के पूर्व–पक्षीय अंतरिम आदेश द्वारा, सेबी अधिनियम की धारा 11(1), 11(4) एवं 11B तथा सेबी (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 की विनियमन 11 के अंतर्गत, कम्पनी एवं उसके निदेशकगण के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की। यह तथ्य कम्पनी के स्वयं के तुलन पत्र

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

2011–12 के "Textual Information (74)/(75) Description of nature of contingent liabilities" में स्वीकार किया गया है।

माननीय प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) मुम्बई ने अपील संख्या 372/2014 में, दिनांक 19.06.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण को दोषी पाया एवं 5 वर्ष तक के लिये प्रतिभूति बाजार से डेबार किया। उपरोक्त उल्लंघनों के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान, जयपुर ने पत्र क्रमांक ROC/Inspn/209।/22828/2012–13/2035 दिनांक 31.12.2013 द्वारा कम्पनी एवं उसके डाइरेक्टर्स से स्पष्टीकरण माँगा, जिसका दिनांक 13.02.2014 को जवाब दिया, जो असंतोषजनक पाया गया, जिसके लिए परिवादी कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.07.2014 को जारी किया, जिसका कोई जवाब परिवादी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 09.01.2015 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 63, 68 एवं 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत परिवाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण संख्या 444/2015 दर्ज किया और अभियुक्तगण पर धारा 63, 68 व 628 के आरोप विरचित किये, जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन समझ कर इनकार किया। परिवादी पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई और जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.03.2026 को अभियुक्तगण को दण्डादेश दिया।

दिनांक 24.04.2026 को कम्पनी तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड के एक शेयर की कीमत मात्र 4.70/–रूपए थी तथा कम्पनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 14 करोड़ रूपए था। यह तथ्य स्वयं–सिद्ध एवं निर्णायक साक्ष्य है कि अपीलार्थीगण का कम्पनी के "विस्तार एवं विविधीकरण" का कभी कोई वास्तविक इरादा था ही नहीं, वरन् आई.पी.ओ. केवल आम जनता को लुभावने वादों से रुपये जुटाने तथा उन्हें व्यक्तिगत उपयोग में लेने का एक माध्यम था। धारा 63 – प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथनों के लिए आपराधिक दायित्व (Criminal Liability for Misstatements in Prospectus) इस प्रकार है :–

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 63:

"(1) Where a prospectus issued after the commencement of this Act includes any untrue statement, every person who authorised the issue of the prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both, unless he proves either that the statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe, and did up to the time of the issue of the prospectus believe, that the statement was true.

(2) A person shall not be deemed for the purposes of this section to have authorised the issue of a prospectus by reason only of his having given—

(a) The consent required by section 58 to the inclusion therein of a statement purporting to be made by him as an expert, or

(b) The consent required by sub-section (3) of section 60."

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 65 - प्रोस्पेक्टस से संबंधित उपबंधों का निर्वचन

"(1) For the purposes of the foregoing provisions of this Part—

(a) a statement included in a prospectus shall be deemed to be untrue, if the statement is misleading in the form and context in which it is included; and

(b) where the omission from a prospectus of any matter is calculated to mislead, the prospectus shall be deemed, in respect of such omission, to be a prospectus in which an untrue statement is included.

(2) For the purposes of sections 61, 62 and 63 and clause (a) of sub-section (1) of this section, the expression "included" when used with reference to a prospectus, means included in the prospectus itself or contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein or issued therewith."

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 68 - कपटपूर्वक व्यक्तियों को धन निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए शास्ति

"Any person who, either by knowingly or recklessly making any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading, or by any dishonest concealment of material facts, induces or attempts to induce another person to enter into, or to offer to enter into—

(a) any agreement for, or with a view to, acquiring, disposing of, subscribing for, or underwriting shares or debentures; or

(b) any agreement the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit to any of the parties from the yield of shares or debentures, or by reference to fluctuations in the value of shares or debentures;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both."

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 - अधिनियम के विरुद्ध अपराध केवल रजिस्ट्रार, शेयरधारक या सरकार की शिकायत पर ही संज्ञेय होंगे -

"(1) No court shall take cognizance of any offence against this Act which is alleged to have been committed by any company or any officer thereof, except on the complaint in writing of the Registrar, or of a shareholder of the company, or of a person authorised by the Central Government in that behalf:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a prosecution by a company of any of its officers.

Provided further that the court may take cognizance of offence relating to issue and transfer of securities and non-payment of dividend on a complaint in writing by a person authorised by the Securities Exchange Board of India.

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

(1A) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), where the complainant under sub-section (1) is the Registrar or a person authorised by the Central Government, the personal attendance of the complainant before the court trying the offence shall not be necessary unless the court for reasons to be recorded in writing requires his personal attendance at the trial.

(2) Sub-section (1) shall not apply to any action taken by the liquidator of a company in respect of any offence alleged to have been committed in respect of any of the matters included in Part VII (sections 425 to 560) or in any other provision of this Act relating to the winding up of companies.

(3) A liquidator of a company shall not be deemed to be an officer of the company, within the meaning of sub-section (1)."

धारा 628 - मिथ्या विवरणों के लिए शास्ति कम्पनी अधिनियम, 1956

"If in any return, report, certificate, balance sheet, prospectus, statement or other document required by or for the purposes of any of the provisions of this Act, any person makes a statement

(a) which is false in any material particular, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material;

he shall, save as otherwise expressly provided in this Act, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine."

भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.09.2016 को जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2843(ई) (Notification No- SO–2843(E) क्रमांक 01.09.2016) के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से कुछ न्यायालयों को कम्पनी

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन से विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया। इस अधिसूचना की क्रम संख्या 2 पर "न्यायालय विशेष न्यायाधीश (सती निवारण), जयपुर" को राजस्थान राज्य के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है।

उक्त अधिसूचना का प्रासंगिक अंश निम्नवत है:

S.O. 2843(E)—In exercise of the powers conferred by sub&section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) the Central Government hereby, with the concurrence of the Chief Justice of the High Courts of Chhattisgarh, Rajasthan, Punjab and Haryana, Madras and Manipur, designates the following Courts as Special Courts for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 एवं 436 के प्रावधानों के अनुसार, विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों का शीघ्र विचारण करना है। ये विशेष न्यायालय मूलतः विचारण न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, न कि अपीलीय न्यायालय के रूप में।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अधीन अपराधों का आरोप है। यद्यपि ये अपराध कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हैं, परन्तु इन सभी धाराओं में अधिकतम दण्ड दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है। वर्तमान अपील माननीय विशेष न्यायालय (सती निवारण), जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत करना विधिक रूप से दोषपूर्ण है और यह अपील क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसे कोई

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

ठोस आधार नहीं हैं जिनके बल पर विद्वान विचारण न्यायालय के सुविचारित एवं साक्ष्य आधारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। अपील के आधार मुख्यतः तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन एवं विधिक प्रावधानों के गलत निर्वचन पर आधारित हैं। अपीलार्थीगण ने अपील में ऐसे कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। यह स्थापित विधि है कि अपीलीय न्यायालय तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन में तभी हस्तक्षेप करता है जब विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य से पूर्णतया विपरीत अथवा अवैधानिक हो। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है।

अपीलार्थीगण का यह तर्क कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को धारा 628 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, पूर्णतया निराधार एवं विधि के विरुद्ध है क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि :

court shall take cognizance of any offence against this Act which is alleged to have been committed by any company or any officer thereof, except on the complaint in writing of the Registrar, or of a shareholder of the company, or of a person authorised by the Central Government in that behalf.

इस प्रकार, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को अधिनियम द्वारा ही स्पष्ट रूप से परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है। यह अधिकार किसी विशेष धारा तक सीमित नहीं है, अपितु सम्पूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **Registrar of Companies Vs- Rajshree Sugar and Chemicals Limited & Ors- (2000) 6 SCC 133** में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि: "Under Section 621 of the Act, no Court can take cognizance of an offence against Companies Act except on the complaint of a

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

shareholder, the Registrar or the person duly authorised by the Central Government. Where the transferee or allottee is not an existing shareholder of the Company, if the words "person aggrieved" is read in such a limited manner] it would mean that Section 469(1)(b) of the Code would be entirely inapplicable to offences under Section 113 of the Act. There is in any event, no justification to interpret the words 'person aggrieved' as used in Section 469(1)(b) restrictively particularly when, as in this case] the statute creating the offence provides for the initiation of the prosecution only on the complaint of particular persons- Having regard to the clear language of Section 621 of the Act] we have no manner of doubt that the appellant would be a person aggrieved within the meaning of Section 469(1)(b) of the Code in respect of offence (except those under Section 545) against the Companies Act."

उक्त सिद्धांत को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sanjay Suri Vs. State, Crl.M.C. Nos. 531&533 of 2009 decided on 29.01.2010** में अनुसरण किया तथा यह भी धारित किया कि "The Registrar of Companies, in any case] would be a 'person aggrieved of an offence' under Companies Act, as he has been assigned a statutory duty to ensure compliance of the provisions of the Act and also in view of the provisions contained in Section 621(1) of Companies Act."

इसी प्रकार, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **Registrar of Companies Vs. Fair Growth Agencies Limited, (2006) 133 CompCas 314 (KAR)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

की लिखित शिकायत पर ही न्यायालय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराधों का संज्ञान ले सकता है एवं कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी एवं उसके संचालकों द्वारा किए गए अपराधों में Aggrieved Person रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज माना जाएगा। अतः परिवाद नितान्त विधिक रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा "कोई सब्सक्राइबर शिकायत नहीं है" का अपीलार्थीगण का तर्क मूल अधिनियम के सांविधिक ढाँचे की गलत व्याख्या है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 जनहित एवं पूंजी बाजार की अखंडता के विरुद्ध अपराध हैं, ये व्यक्तिगत शिकायत पर आधारित अपराध नहीं हैं। अतः अपीलार्थीगण का यह तर्क पूर्णतया निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण का यह तर्क कि कम्पनी को पक्षकार न बनाए जाने के कारण परिवाद पोषणीय नहीं है, भी निराधार है क्योंकि धारा 63, 68 एवं 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन धाराओं में "Every Person/Any Person" शब्दों का प्रयोग किया गया है, न कि "Company" शब्द का। विधायिका ने जानबूझकर इन धाराओं के अन्तर्गत दायित्व को व्यक्तिगत (Personal Liability) बनाया है, न कि कॉर्पोरेट दायित्व (Corporate Liability)। यदि विधायिका का आशय कम्पनी को भी उत्तरदायी ठहराने का होता तो वह स्पष्ट रूप से "Company" शब्द का प्रयोग करती, जैसा कि अधिनियम की अन्य धाराओं में किया गया है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Aneeta Hada Vs Godfather Travels & Tours Pvt. Ltd. (2012) 5 SCC 661** का निर्णय Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 एवं 141 के सन्दर्भ में है, जिसमें धारा 141 में "Company" शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा 58 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि :–

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

"We arrive at the irresistible conclusion that for maintaining the prosecution under Section 141 of the Act, arraigning of a company as an accused is imperative."

इस निर्णय का वर्तमान प्रकरण पर कोई प्रयोज्यता नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 में "Company" शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 10 एवं 11 में इस तर्क का समुचित रूप से निराकरण किया है।

न्यायिक दृष्टांत **Sunil Bharti Mittal v- Central Bureau of Investigation, (2015) 4 SCC 609, Criminal Appeal Nos- 34–37/2015 decided on 09.01.2015** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 64 में धारित किया है कि :–

"Mens rea is attributed to corporations on the principle of 'alter ego' of the company... if a group of persons that guide the business of the company have the criminal intent, that would be imputed to the body corporate."

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण स्वयं कम्पनी के प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं अन्य "ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट" हैं अर्थात् कम्पनी के "Iter ego" हैं। प्रॉस्पेक्टस तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अपीलार्थीगण ने स्वयं किये। अतः अपराध के पूर्ण ज्ञान एवं कपटपूर्ण मंशा के साथ ही कृत्य किया गया। Aneeta Hada (supra) का लाभ यहाँ लागू नहीं होता।

N. Narayanan Vs. Adjudicating Officer, SEBI, Civil Appeals Nos- 4112-4113 of 2013, decided on 26-04-2013 (Justice K-S- Radhakrishnan & Justice Dipak Misra)(reported at (2013) 12 SCC 152, AIR 2013 SC 3191 के पैरा 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रारम्भ में ही प्रतिपादित किया है कि :–

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

"India's capital market in the recent times has witnessed tremendous growth] characterized particularly by increasing participation of public- Investors' confidence in the capital market can be sustained largely by ensuring investors' protection- Disclosure and transparency are the two pillars on which market integrity rests- Facts of the case disclose how the investors' confidence has been eroded and how the market has been abused for personal gains and attainment."

उक्त निर्णय के पैरा 33 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Official Liquidator Vs P.A. Tendolkar (1973) 1 SCC 602** का अनुसरण करते हुए प्रतिपादित किया है कि :–

"A Director may be shown to be placed and to have been so closely and so long associated personally with the management of the company that he will be deemed to be not merely cognizant of but liable for fraud in the conduct of business of the company even though no specific act of dishonesty is prove against him personally. He cannot shut his eyes to what must be obvious to everyone who eÛamines the affairs of the company even superficially."

पैरा 34 में उक्त सिद्धांत को वर्तमान जैसे तथ्यों पर लागू करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि :–

"The facts in this case clearly reveal that the Directors of the company in question had failed in their duty to exercise due care and diligence and allowed the company to fabricate the figures and making false disclosures- Facts indicate that they have overlooked the numerous red flags in the revenues,

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

profits, receivables, deposits etc. which should not have escaped the attention of a prudent person."

यह कि **Iridium India Telecom Ltd. Vs Motorola Incorporated & Ors. (2011) 1 SCC 74 / (2010) 3 SCC (Cri) 1201, Criminal Appeal No- 688/2005 decided on 20.10.2010** के पैरा 24 and 44 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रॉस्पेक्टस की अनिवार्य प्रकृति (mandatory nature) पर स्पष्ट धारिंत किया कि प्रॉस्पेक्टस जारी करते समय प्रवर्तक "true and full disclosure of all the relevant facts" देने का कर्तव्यबद्ध है तथा यह कर्तव्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 64 के अंतर्गत अधिरोपित है। कोर्ट ने **New Brunswick & Canada Railway Co. Vs. Muggeridge And Central Railway Co. of Venezuela vs Kisch** के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए प्रतिपादित किया कि प्रॉस्पेक्टस में अर्ध–सत्य अथवा चूक ही छल का गठन करती है।

अपीलार्थीगण का यह तर्क कि परिवाद परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया है, भी निराधार है। इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 68 कम्पनी अधिनियम, 1956 का भी आरोप है, जिसमें अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अतः, इस प्रकरण में परिसीमा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं विस्तृत रूप से विवेचन किया है।

प्रदर्श पी–2 (प्रोस्पेक्टस दिनांक 12.09.2011): जिसमें पृष्ठ 56 पर "नो ब्रिज लोन" का मिथ्या कथन पाया गया, पृष्ठ 76 पर "इंटरिम यूज ऑफ प्रासीड्स" का उल्लेख पाया गया, एवं पृष्ठ 18 पर बैंक ऑफ इंडिया के ऋण करार का उल्लेख पाया गया। प्रदर्श पी–3 (निरीक्षण रिपोर्ट) जिसमें सभी उल्लंघनों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें दिनांक 10.09.2011 की

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि शाखा
ज.जे.एम./सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

बोर्ड मीटिंग का विवरण, आई.सी.डी. का विवरण, एवं आई.पी.ओ. राशि के डायवर्जन का विवरण शामिल है। प्रदर्श पी–14 से पी–18 (बैंक स्टेटमेंट) से स्पष्ट रूप से आई.पी.ओ. राशि का आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान में उपयोग एवं प्रवर्तकों को हस्तांतरण सिद्ध होता है। गवाह पी.डब्ल्यू.–1, पी.डब्ल्यू.–2 एवं पी.डब्ल्यू.–3 के बयानों में निरीक्षण के निष्कर्षों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की पुष्टि की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्तगण के तर्कों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का भी सम्यंक मूल्यांकन किया है।

विद्वान न्यायालय ने निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया है जैसेः– दिनांक 10.09.2011 का बोर्ड प्रस्ताव एवं दिनांक 12.09.2011 के प्रोस्पेक्टस में "नो ब्रिज लोन" के कथन के बीच विरोधाभास, आई.पी.ओ. राशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद (13.10.2011) ही 45.40 करोड़ रु. का आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान में उपयोग शेयरवेयर फिनविन से 10.10.2011 को लिए गए आई.सी.डी. का प्रवर्तकों को हस्तांतरण एवं 13.10.2011 को आई.पी.ओ. राशि से पुनर्भुगतान, मशीनरी पर प्रस्तावित व्यय एवं वास्तविक व्यय में भारी अन्तर। ये सभी तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों (प्रदर्श पी–1 से पी–18) से पूर्णतया सिद्ध होते हैं। प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 में विस्तार से वर्णित किया जा चुका है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 628 में कहीं भी यह उल्लिखित नहीं है कि इस धारा के अन्तर्गत अपराध केवल सब्सक्राइबर द्वारा ही किया जा सकता है। धारा 628 में "Any Person" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कम्पनी के निदेशक, अधिकारी एवं अन्य सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं। धारा 628 इस प्रकार हैः

"If in any return, report, certificate, balance sheet, prospectus, statement or other document required by or for the purposes of any of the provisions of this Act] any person makes a statement (a) which is false in any material particular,

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

knowing it to be false or (b) which omits any material fact, knowing it to be material he shall be punishable..."

इस प्रकार, धारा 628 का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो अधिनियम के अधीन आवश्यक किसी दस्तावेज में मिथ्या कथन करता है या भौतिक तथ्य का गोपन करता है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्टस (जो कि अधिनियम के अधीन आवश्यक दस्तावेज है) में मिथ्या कथन किए हैं एवं भौतिक तथ्यों का गोपन किया है।

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार धारा 621 द्वारा प्रदत्त है, जो कि सम्पूर्ण अधिनियम पर लागू होती है। रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को परिवाद प्रस्तुत करने के लिए किसी सब्सक्राइबर की शिकायत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

कम्पनी के विरुद्ध सेबी (SEBI) के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सेबी ने जाँच की एवं आदेश पारित किया। यह तथ्य निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–3) के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि :–

"SEBI has conducted investigation after a complaint alleging insider trading was received in the matter of IPO of the Company- SEBI has passed an ad interim ex & parte order on December 28, 2011 in the IPO matter of the Company."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **N. Narayanan Vs. Adjudicating Officer. SEBI AIR 2013 SC 3191** में यह प्रतिपादित किया है कि :–

"Disclosure and transparency are the two pillars on which market integrity rests- Facts of the case disclose how the investors' confidence has been eroded and how the market has been abused for personal gains and attainments."

अतः यह तर्क कि किसी सब्सक्राइबर की शिकायत नहीं है, पूर्णतया निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

अभियोजन पक्ष का मामला केवल यह नहीं है कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस की शर्तों का पालन नहीं किया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि (क) प्रोस्पेक्टस में ही मिथ्या कथन किए गए थे (जैसे "नो ब्रिज लोन" का कथन, जबकि दिनांक 10.09.2011 को ही आई.सी.डी. लेने का प्रस्ताव पारित किया गया था।) (ख) प्रोस्पेक्टस में भौतिक तथ्यों का गोपन किया गया था (जैसे प्रोस्पेक्टस से पूर्व लिए गए आई.सी.डी. का प्रकटीकरण न करना); (ग) आई.पी.ओ. राशि का उपयोग प्रोस्पेक्टस में घोषित उद्देश्यों (विस्तार एवं विविधीकरण) के स्थान पर आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान एवं प्रवर्तकों के ऋणों के भुगतान में किया गया। (घ) अक्टूबर 2011 में आई.पी.ओ. निधियाँ प्राप्त होते ही, उन्हें तत्काल एवं अधिकांशतः प्ब्वे तथा प्रवर्तकों के ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग में लाए गए 45.40 करोड़ रूपए दिनांक 13.10.2011 को ही। इन तीनों तथ्यों का सम्मिलित प्रभाव यह सिद्ध करता है कि अभियुक्तगण का आशय प्रारम्भ से ही कपटपूर्ण था और उन्होंने जानबूझकर निवेशकों को गुमराह करने के लिए प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन किए एवं भौतिक तथ्यों का गोपन किया। "गलत कथन" चूक एवं झूठे वादे द्वारा प्रॉस्पेक्टस में कथन में निधियाँ के भविष्य के उपयोग के बारे में वादे शामिल हैं। जब ऐसा वादा उसे पूरा करने के कोई इरादे के बिना ही प्रारम्भ में किया जाता है तथा निवेशकों को लुभाने के लिए किया जाता है, तो यह धारा 68 के अन्तर्गत एक झूठा, भ्रामक एवं गलत कथन तथा धारा 628 के अन्तर्गत एक भौतिक तथ्य की चूक का गठन करता है। "गलत कथन" बाद की दिशा परिवर्तन नहीं है बल्कि प्रारम्भ में कपटपूर्ण ढंग से किया गया वादा है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Dr. T.H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & Anr (2014) 182 Comp Cas 13** का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न है। उस प्रकरण में आरोप केवल यह था कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस में किए गए वादों के अनुसार धनराशि का निवेश नहीं किया, जबकि प्रोस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन नहीं

प्रदीप कुमारी द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

था। वर्तमान प्रकरण में, प्रोस्पेक्टस में ही मिथ्या कथन ("नो ब्रिज लोन") किया गया था एवं भौतिक तथ्यों (आई.सी.डी.) का गोपन किया गया था।

इसी प्रकार, **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India, 2021 SCC Online SAT 263** का निर्णय भी वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है। उस प्रकरण में SAT ने यह पाया कि "ICD" शब्द का उल्लेख न करना एक तकनीकी त्रुटि मात्र थी और प्रोस्पेक्टस में आई.पी.ओ. राशि के अंतरिम उपयोग के लिए पर्याप्त लचीलापन दिया गया था। परन्तु वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से "नो ब्रिज लोन" का कथन किया था, जो कि पूर्णतया मिथ्या था।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 17 में इन न्यायिक दृष्टान्तों का सम्यक रूप से विभेदन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि ये निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते।

यह स्थापित विधि है कि जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज में कोई कथन करता है और उसी समय उस कथन को पूरा न करने का आशय रखता है, तो वह कथन प्रारम्भ से ही मिथ्या होता है। वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्टस में यह कथन किया कि उन्होंने कोई ब्रिज लोन नहीं लिया है, जबकि उन्होंने दो दिन पूर्व ही 12.5 करोड़ रुपए के आई.सी.डी. लेने का प्रस्ताव पारित किया था। यह कथन प्रारम्भ से ही मिथ्या था।

इसी प्रकार, अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्टस में "इंटरिम यूज ऑफ प्रोसीड्स" के अन्तर्गत यह कथन किया कि आई.पी.ओ. राशि को उच्च गुणवत्ता वाले ब्याज–युक्त तरल साधनों में निवेशित किया जाएगा, जबकि उनका वास्तविक आशय इस राशि का उपयोग आई.सी.डी. के पुनर्भुगतान में करने का था। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि आई.पी.ओ. राशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद (13.10.2011) ही 45.40 करोड़ रु. का उपयोग आई. सी.डी. के पुनर्भुगतान में कर दिया गया।

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं जयपुर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 65 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि:

"(a) a statement included in a prospectus shall be deemed to be untrue] if the statement is misleading in the form and conteÛt in which it is included. and

(b) where the omission from a prospectus of any matter is calculated to mislead] the prospectus shall be deemed] in respect of such omission] to be a prospectus in which an untrue statement is included."

वर्तमान प्रकरण में, प्रोस्पेक्टस में "नो ब्रिज लोन" का कथन एवं आई. सी.डी. का गोपन, दोनों ही निवेशकों को गुमराह करने के लिए परिकलित थे। अतः, धारा 65 के अनुसार, ये कथन मिथ्या माने जाएंगे।

धारा 63, 68 एवं 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन धाराओं में "Every Person/Any Person" शब्दों का प्रयोग किया गया है, न कि "Company" शब्द का। इन धाराओं के अन्तर्गत दायित्व व्यक्तिगत है, न कि कॉर्पोरेट दायित्व।

धारा 63: "every person who authorised the issue of the prospectus shall be punishable"

धारा 68: "Any person who--- shall be punishable"

धारा 628: "Any person makes a statement. he shall be punishable"

यदि विधायिका का आशय कम्पनी को भी उत्तरदायी ठहराने का होता तो वह स्पष्ट रूप से "Company" शब्द का प्रयोग करती। अधिनियम की अन्य धाराओं में, जहाँ विधायिका कम्पनी को उत्तरदायी ठहराना चाहती थी, वहाँ स्पष्ट रूप से "Company" शब्द का प्रयोग किया गया है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Aneeta Hada का निर्णय Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 141 के सन्दर्भ में है,

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

जिसमें "Company" शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 के अनुसार:

"468- Bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation- (1) Except as otherwise provided elsewhere in this Code, no Court shall take cognizance of an offence of the category specified in sub&section (2) after the expiry of the period of limitation.

(2) The period of limitation shall be (a) six months, if the offence is punishable with fine only (b) one year, if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding one year (c) three years, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding one year but not exceeding three years-

(3) For the purposes of this section- the period of limitation] in relation to offences which may be tried together, shall be determined with reference to the offence which is punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment-"

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 68 कम्पनी अधिनियम, 1956 का भी आरोप है, जिसमें अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास का प्रावधान है। चूँकि यह अवधि तीन वर्ष से अधिक है, अतः इस अपराध के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि अपराधों का पता निरीक्षण के दौरान वर्ष 2013–14 में चला, जिसके पश्चात् तुरन्त कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 06.01.2015 को परिवाद प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, परिवाद प्रस्तुत करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

यह कथन तथ्यात्मक रूप से सही है। अभियोजन पक्ष का मामला यही है कि अभियुक्तगण ने वर्ष 2011 में आई.पी.ओ. लाते समय अपने प्रोस्पेक्टस

प्रदीप कुमार/द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

में झूठे/गलत कथन किए तथा आई.पी.ओ. के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का दुरुपयोग किया हालाँकि, अपीलार्थीगण ने अपनी लिखित बहस के पैरा 2 में धारा 63, 68 एवं 628 का जो विवरण दिया है, वह अधूरा एवं भ्रामक है। इन धाराओं का पूर्ण एवं शब्दशः विवरण इस उत्तर के भाग दो में दिया जा चुका है।

अपीलार्थीगण का यह कथन कि "केवल इस आधार पर कि प्रोस्पेक्टस की शर्तों का पालन नहीं किया गया, इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता", अभियोजन पक्ष के मामले की गलत व्याख्या है। जैसा कि ऊपर बार–बार स्पष्ट किया जा चुका है, अभियोजन पक्ष का मामला केवल प्रोस्पेक्टस की शर्तों के पालन न करने का नहीं है, अपितु प्रोस्पेक्टस में ही मिथ्या कथन करने एवं भौतिक तथ्यों के गोपन का है।

अपीलार्थी का कथन कि धारा 628 के अन्तर्गत अपराध केवल किसी सब्सक्राइबर द्वारा ही किया जा सकता है, अतः परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज का परिवाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। यह तर्क पूर्णतया निराधार है एवं इसका विस्तृत उत्तर ऊपर अपील के आधार संख्या 3 के उत्तर में तथा प्रारंभिक आपत्ति संख्या 3 में दिया जा चुका है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराधों के लिए परिवाद प्रस्तुत करने का स्पष्ट अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार किसी विशेष धारा तक सीमित नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Registrar of Companies Vs. Rajshree Sugar and Chemicals Limited & Ors. (2000) 6 SCC 133** में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए "Person Aggrieved" है।

अपीलार्थी का कथन कि अपीलार्थीगण ने Dr. T.H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & Anr- (2014) 182 Comp Cas 13 के

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

निर्णय का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में Dr. T.H. Chowdary का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न है और अपीलार्थीगण को कोई सहायता नहीं प्रदान करता क्योंकि Dr. T.H. Chowdary के प्रकरण में आरोप केवल यह था कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस में किए गए वादों के अनुसार धनराशि का निवेश नहीं किया। उस प्रकरण में प्रोस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन नहीं था। न्यायालय ने यह पाया कि "The issuance of a statement through the prospectus and not abiding by the promises made in the prospectus are two distinct activities altogether- So far as sections 63] 68 and 628 of the Act are concerned] the directors become liable for punishment if the statements in the prospectus are not true and not if the statements made in the prospectus have not been adhered to by the company."

अपीलार्थीगण ने Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India 2021 SCC Online SAT 263 के निर्णय का उल्लेख किया है, जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न है।

वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से "नो ब्रिज लोन" का कथन किया था, जो कि पूर्णतया मिथ्या था। यह कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी, अपितु एक सुनियोजित मिथ्या कथन था।

वर्तमान प्रकरण में प्रॉस्पेक्टस के प्रकाशन के समय ही धोखेपूर्ण मंशा विद्यमान थी। यह धारा 63 एवं 68 के अंतर्गत कपटपूर्ण प्रेरणा का आदर्श मामला है, जैसा कि Sahara India Real Estate Corporation Ltd. & Ors. Vs. Securities & Exchange Board of India & Anr. Civil Appeals Nos. 9813 & 9833 of 2011] decided on 31-08-2012 (Justice K.S. Radhakrishnan & Justice Jagdish Singh Khehar)

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

(reported at (2013) 1 SCC 1 ने निर्धारित किया है कि जो सार्वजनिक धन जुटाते समय अंतिम प्रकटीकरण एवं घोषित उद्देश्यों के प्रति निष्ठा अनिवार्य करता है।

Mohan Das Shenoy Adige Vs SEBI (2021 SCC OnLine SAT 263) SAT के निर्णय हैं, जो सेबी के प्रशासनिक दण्डात्मक कार्यवाही (civil-penalty adjudication) से सम्बन्धित हैं, कम्पनी अधिनियम के आपराधिक अभियोजन से नहीं। Mohan Das Shenoy (supra) पर विचार करते हुए अपीलार्थीगण यह भूल जाते हैं कि वर्तमान में प्रॉस्पेक्टस ने विशेष रूप से वादा किया था कि निधियों को "high quality interest bearing liquid instruments including money market mutual funds and deposits with banks" में रखा जायेगा कि अंतर–निगम जमा तथा प्रवर्तकों को ऋण–भुगतान इन श्रेणियों में नहीं आते। जिससे यह स्पष्ट किया जा चुका है, प्रोस्पेक्टस में ही मिथ्या कथन किया गया था। यह केवल प्रोस्पेक्टस की शर्तों के उल्लंघन का मामला नहीं है।

अपीलार्थी का यह कथन कि दिनांक 10.09.2011 को केवल एक बोर्ड रेजोल्यूशन धारा 292 के अन्तर्गत पारित किया गया था, जिसके द्वारा कम्पनी को ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। प्रोस्पेक्टस की तिथि से पूर्व कम्पनी में कोई भी ऋण राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई थी। अतः ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसका प्रकटीकरण करना अनिवार्य था। इसके सम्बन्ध में यह एक स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि प्रोस्पेक्टस में सभी भौतिक तथ्यों (Material Facts) का प्रकटीकरण किया जाना अनिवार्य है। एक भौतिक तथ्य वह है जो एक विवेकपूर्ण निवेशक के निवेश निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

दिनांक 10.09.2011 को 12.5 करोड़ रु. के आई.सी.डी. लेने का बोर्ड प्रस्ताव निश्चित रूप से एक भौतिक तथ्य था। यह तथ्य किसी भी विवेकपूर्ण निवेशक के निर्णय को प्रभावित कर सकता था, क्योंकि यह दर्शाता था कि कम्पनी को तत्काल धनराशि की आवश्यकता थी।, कम्पनी पर अतिरिक्त ऋण

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

भार आने वाला था। आई.पी.ओ. से प्राप्त राशि का एक भाग इन ऋणों के पुनर्भुगतान में जा सकता था।

अपीलार्थीगण का यह तर्क कि "वास्तव में ऋण राशि प्राप्त नहीं हुई थी", भी भ्रामक है। निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–3) के अनुसार, कम्पनी ने वास्तव में ये आई.सी.डी. प्राप्त किए थे और आई.पी.ओ. राशि से उनका पुनर्भुगतान किया था। यह तथ्य बैंक स्टेटमेंट (प्रदर्श पी–14 से पी–18) से पूर्णतया सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, सेबी जाँच में यह भी पाया गया कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस से पूर्व (मई एवं जून 2011 में) भी आई.सी.डी. लिए थे, जिनका प्रोस्पेक्टस में कोई उल्लेख नहीं था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Sahara India Real Estate Corporation Ltd. & Ors. Vs. SEBI (2012) 10 SCC 603** में यह प्रतिपादित किया है कि जनता से धन जुटाते समय पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य और धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए वह मांगा गया है।

अपीलार्थी का कथन कि प्रोस्पेक्टस के इशू की तिथि से पूर्व कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का इंटर–कॉरपोरेट डिपॉजिट प्राप्त नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रोस्पेक्टस में इंटर–कॉरपोरेट डिपॉजिट्स से संबंधित किसी भी प्रकार के विवरण का उल्लेख करने का कोई अवसर उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह कथन पूर्णतया असत्य है क्योंकि निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–3) एवं सेबी जाँच से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस की तिथि (12.09.2011) से पूर्व निम्नलिखित आई.सी.डी. प्राप्त किए थे। इन आई.सी.डी. का प्रोस्पेक्टस में "अनसिक्योर्ड लोन्स" के अन्तर्गत कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.09.2011 को 12.5 करोड़ रुपए के आई.सी.डी. लेने का बोर्ड प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका भी प्रोस्पेक्टस में कोई उल्लेख नहीं था।

अपीलार्थीगण का यह कथन कि "इंटर–कॉरपोरेट डिपॉजिट्स का उल्लेख न किया जाना अपने–आप में किसी भी प्रकार का मिथ्या अथवा

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

असत्य कथन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है", भी निराधार है। यह कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी, अपितु भौतिक तथ्यों का सुनियोजित गोपन था। इस सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 65 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि:

"(b) where the omission from a prospectus of any matter is calculated to mislead] the prospectus shall be deemed, in respect of such omission, to be a prospectus in which an untrue statement is included."

अपीलार्थी का कथन कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची II के अनुसार, प्रोस्पेक्टस में केवल पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों से संबंधित डेटा का ही खुलासा करना अनिवार्य है। दिनांक 23.05.2011 एवं 09.06.2011 को प्राप्त राशियाँ 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्राप्त हुई थीं, अतः उनका विवरण प्रोस्पेक्टस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य नहीं था। यह तर्क पूर्णतया भ्रामक एवं विधि की गलत व्याख्या पर आधारित है क्योंकि अनुसूची II भाग I खण्ड VII में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि: "Any material development after the date of the latest balance sheet and its impact on performance and prospects of the company" का प्रकटीकरण किया जाना अनिवार्य है।

अन्तिम तुलन–पत्र (Balance Sheet) 31.03.2011 का था। इस तिथि के पश्चात् हुई कोई भी भौतिक प्रगति (Material Development) का प्रकटीकरण प्रोस्पेक्टस में किया जाना अनिवार्य था। दिनांक 23.05.2011 एवं 09.06.2011 को प्राप्त आई.सी.डी. एवं दिनांक 10.09.2011 का बोर्ड प्रस्ताव, सभी 31.03.2011 के पश्चात् की भौतिक प्रगतियाँ थीं। इनका प्रकटीकरण न करना अनुसूची II का स्पष्ट उल्लंघन है।

अपीलार्थीगण का यह तर्क कि अनुसूची II केवल पाँच वित्तीय वर्षों के डेटा का प्रकटीकरण अनिवार्य करती है, अनुसूची II का अधूरा एवं भ्रामक पाठ है। अनुसूची II भाग I खण्ड VII (ब) स्पष्ट रूप से अन्तिम

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

तुलन–पत्र की तिथि के पश्चात् की भौतिक प्रगतियों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है।

इसके अतिरिक्त सेबी (ICDR) विनियम तथा क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट जिसका अपीलार्थीगण स्वयं प्रॉस्पेक्टस (पृष्ठ 76) में पालन करने का वादा कर चुके हैं कि "निरंतर प्रकटीकरण" (continuous disclosure) को अनिवार्य करते हैं।

अपीलार्थी का कथन कि समस्त परिवाद स्वयं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट पर आधारित है, और वह भी लगभग तीन वर्षों की देरी के पश्चात् प्रस्तुत की गई है, जिसे अभियोजन हेतु निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पूर्णतया निराधार है क्योंकि जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श पी–3) एक वैधानिक दस्तावेज है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए के अन्तर्गत विधिवत रूप से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य है। जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि अन्य स्वतन्त्र साक्ष्यों से भी होती है, जैसे प्रोस्पेक्टस (प्रदर्श पी–2), बैंकर्स स्टेटमेंट (प्रदर्श पी–14 से पी–18), सेबी जाँच के निष्कर्ष, गवाहों के लिखित बयान। अभियोजन पक्ष का मामला केवल जाँच रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, अपितु उपरोक्त सभी स्वतन्त्र साक्ष्यों पर आधारित है।

जहाँ तक विलम्ब का प्रश्न है, जाँच रिपोर्ट दिनांक 20.03.2014 को तैयार की गई थी। इसके पश्चात्, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं कम्पनी का जवाब प्राप्त किया गया। तत्पश्चात्, विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 06.01.2015 को परिवाद प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, परिवाद प्रस्तुत करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

अभियोजन की मंजूरी देने की शक्ति रजिस्ट्रार को निहित नहीं है। यह शक्ति कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) द्वारा विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और क्षेत्रीय निदेशकों (आर.डी.) को प्रत्यायोजित की गई है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2016 दिनांक

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

20.06.2016 (इसके साथ अनुबंध आर/2 के रूप में अनुबद्ध) पर भरोसा किया जाता है। उक्त परिपत्र का पैरा 4 अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। केंद्र सरकार उन सभी अपराधों/उल्लंघनों के अभियोजन की मंजूरी देने के लिए प्राधिकारी होगी जिनमें जुर्माने सहित या रहित, दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड हो। क्षेत्रीय निदेशक इसके साथ संलग्न विवरणी– I में विनिर्दिष्ट धाराओं के अपराधों/उल्लंघनों के अभियोजन की मंजूरी देने के लिए प्राधिकारी होंगे। आर.ओ.सी. इसके साथ संलग्न विवरणी– II में विनिर्दिष्ट उपबंधों/धारा के संबंध में किए गए कथित अपराधों के मामले में अभियोजन दाखिल करने का निर्णय करेंगे। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3557(ई) दिनांक 31.12.2015 (इसके साथ अनुबंध आर/1 के रूप में अनुबद्ध), जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अधीन जारी की गई है, प्रतिवेदन प्राप्त करने और अभियोजन की मंजूरी देने की शक्ति क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित करती है। अधिसूचना का पैरा 2 कहता है:"

"On receipt of the report referred to in paragraph 1 the Regional Director –

(a) shall examine the report and obtain legal advice] if required

(b) shall direct initiation of prosecution if he agrees with the recommendation of the Registrar or inspector to initiate prosecution against the company."

चूंकि उक्त प्रकरण में जो उल्लंघन अभियुक्त द्वारा किया गया है, उसमें 5 वर्ष तक के कारावास से दण्डित करने का प्रावधान होने के कारण अभियोजन दायर करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार (कारपोर्रेट कार्य मंत्रालय) ही देता है। अभियोजन स्वीकृति मिलने के पश्चात ही कम्पनी रजिस्ट्रार उक्त अभियोजन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने रजिस्ट्रार के ज्ञान की तिथि को परिसीमन के प्रारंभ के साथ

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

मिलाने का प्रयास किया है। प्रत्यर्थी का यह प्रस्तुतीकरण है कि यदि याचिकाकर्ताओं के तर्क पर केवल तर्क हेतु विचार कर भी लिया जाए, तो स्वीकृति प्राप्त करने में लगा समय (अंतिम जांच रिपोर्ट की तिथि से स्वीकृति आदेश की तिथि तक) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 470 के अधीन परिसीमन अवधि की गणना से अपवर्जनीय होगा, जो कतिपय मामलों में समय के अपवर्जन से संबंधित है। तथापि, प्रत्यर्थी का प्राथमिक तर्क यही है कि वाद–हेतुक स्वयं स्वीकृति की तिथि से उत्पन्न होता है। कंपनी अधिनियम के अधीन किसी परिवाद के लिए परिसीमन की अवधि की गणना स्वीकृति प्राप्त करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में लगे समय को सम्मिलित किए बिना नहीं की जा सकती।"

मननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने **Registrar of Companies vs. Fair Growth Agencies Ltd (2006) 71 SCL 18 (KAR)** में यह प्रतिपादित किया है कि –

"12. On a perusal of all these decisions, the following principle of law can be culled out for computing the period of limitation. In a case registered on the complaint lodged by the Registrar of Companies in respect of an offence against the Companies Act, one has to consider the date on which such offence came to his knowledge. In one case, it may be that the Registrar may have come to know about the offence on the date when the Inspecting Officer detects the contravention of the Act. In another case] he may not be aware of offence until a report is made by the Inspecting Officer to him- Determination of this date of knowledge of the Registrar depends on facts of each case- In cases where the inspection of books of accounts and other books of the Company is done under Clause (ii) of Section 209-A(1) of the Companies Act, a

प्रदीप कुमारी द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

report of the inspection will have to be made to the Central Government under Sub&section (6) of Section 209-A of the Companies Act and the Registrar of Companies may come to know about the commission of such offence against the Companies Act only when he receives a communication from the concerned officer of the Department of Company Affairs. In such cases the date on which he receives communication in this regard will have to be taken as the starting point for limitation under Section 469(1)(b) of the Code of Criminal Procedure-Þ In the present case, the competent authority (the Regional Director) granted sanction and] thus, had the necessary knowledge on 26.04.2023.

मननीय दिल्ली हाई कोर्ट **Sanjay Suri vs. State Crl.M.C. 531/2009 (29.01.2010)** में यह प्रतिपादित किया है कि –

"25. Even otherwise in my view it cannot be said that all the offences against Companies Act come to the knowledge of Registrar on the date Balance Sheet or other relevant document filed in his office. The number of companies in our country may be running into lakhs. It would be impractical and unrealistic to expect the Registrar or his office to carry out a detailed scrutiny and cross-checking of the Balance Sheets and other documents filed in his office on the date the documents are filed or even soon thereafter. The Registrar does not possess the requisite infrastructure and manpower to carry out such an exercise. If he is to carry out a meticulous examination and verification of information provided in the Balance Sheet and other documents filed in his office within a

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

short period of say 10 or 15 days] he will require a huge infrastructure including office space and manpower which no Government can provide to him- If the Court is to take a view that irrespective of infrastructural and other constraints of the Registrar] the offence is deemed to have come to his knowledge on the day the Balance Sheet or other document filed in his office or within a period of say 10-15 days in terms of Regulation 17 of Companies Act or any administrative instructions] the inevitable result would be that most of the persons violating the provisions of Companies Act would go scot&free on account of delay in filing of complaint of Registrar of Companies. If two views are possible the Court must take the view which would advance the course of justice and discourage commission of offence such as contraventions of Companies Act. If the Directors officers or employees of the company know that knowledge of offence would be attributed to Registrar of Companies from the date the Balance Sheet or other documents as the case may be is filed in his office they would be encouraged to violate the provisions of the Act with impunity since they would be knowing that it is neither possible nor practical for the Registrar or his office to come to know the offence committed by them, within a short period of filing of the documents in his office. Such a view if taken would only frustrate the legislative intent behind enactment of various penal provisions in the Companies Act and therefore should not be taken."

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

अपीलार्थी का कथन कि कम्पनी के किसी भी शेयरहोल्डर/सब्सक्राइबर द्वारा कम्पनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रोस्पेक्टस में किसी प्रकार के छुपाव, झूठे कथन या गलत विवरण के संबंध में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। यह तर्क पूर्णतया निराधार एवं अप्रासंगिक है। क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को स्वतन्त्र रूप से परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करती है। रजिस्ट्रार को परिवाद प्रस्तुत करने के लिए किसी शेयरहोल्डर की शिकायत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू.–2 की जिरह में यह तथ्य आया है कि उन्हें याद नहीं है कि किसी शेयरहोल्डर ने शिकायत की हो। यह स्मृति की विफलता मात्र है और इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ऐसी कोई शिकायत थी ही नहीं। वास्तव में, सेबी के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि अभिलेख पर है। प्रकरण में अभियुक्तगण पर प्रोस्पेक्टस में गलत कथन किये जाने, तथ्यों को छिपाने व कपटपूर्वक आशय से निवेश करने हेतु उत्प्रेरित करने का गंभीर आरोप है। ऐसे अपराधों में यदि नरमी का रुख अपनाया गया तो लोगों का सेबी व शेयर मार्केट से विश्वास उठ जायेगा एवं अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **N. Narayanan Vs Adjudicating Officer SEBI AIR 2013 SC 3191** में यह प्रतिपादित किया है कि:

"Investors' confidence in the capital market can be sustained largely by ensuring investors' protection- Disclosure and transparency are the two pillars on which market integrity rests- Facts of the case disclose how the investors' confidence has been eroded and how the market has been abused for personal gains and attainments-"

ऐसे मामलों में, जहाँ निवेशकों के विश्वास का दुरुपयोग किया गया हो और बाजार की सत्यनिष्ठा को क्षति पहुँचाई गई हो, कठोर दण्ड का प्रावधान आवश्यक है ताकि यह दूसरों के लिए पाठ बन सके। जहाँ तक

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, इस पर विस्तृत आपत्ति प्रारंभिक आपत्ति संख्या 1 में की जा चुकी है। माननीय विशेष न्यायालय (सती निवारण), जयपुर महानगर द्वितीय को वर्तमान अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपराधों के लिए विचारण न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है, न कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अपराधों के लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में। अभियुक्तगण ने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानो का उल्लंघन किया है जिससे अभियुक्तगण दोषसिद्व घोषित किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाये। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए :–

1. **Registrar of Companies Vs Rajshree Sugar & Chemicals Ltd. on 11-05-2000**
2. **(2006) 133 Compcas314 (Kar) The Registrar of Companies Vs Fair Growth agencies**
3. **Crl. M.C. 531/2009 HC of Delhi Sanjay Vs State**
4. **AIR 2013 SC 3191 N. Narayanan Vs Adjudicating Officer SEBI**
5. **AIR 2011 SC 20 Iridium India Vs Motorola Incor.**
6. **Civil Appeal No. 9833 of 2011 Sahara India Real Vs Securities and exchange board of India**

9. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

"मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एक पंजीकृत कंपनी है जिसके अभियुक्तगण जिम्मेदार अधिकारी/संचालक रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 7/46/2102/-CL-II दिनांक 06.09.2012 को कंपनी का निरीक्षण करने

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

पर पाया कि कंपनी ने प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड इक्विटी शेयर्स रुपये दस प्रत्येक का जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रुपये साठ का आईपीओ कुल साठ करोड रुपये का जारी किया गया। कंपनी द्वारा उक्त प्रकार से लिए गए आईसीडी एवं इसके पुनर्भुगतान के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं करके तथ्यों को छिपाते हुए झूठे कथन किये गये व प्रोस्पेक्ट्स में दशाई गई राशि के अनुसार आयातित एवं स्वदेशी मशीनरी पर खर्च नहीं किये गये व विवरणिका में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं कर गलत तथ्य अंकित कर अन्य व्यक्तियों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उत्प्रेरित किया। कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान जयपुर निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 31.12.2023 को नोटिस प्रेषित कर स्पष्टीकरण मांगा जिसका जवाब असंतोषजनक पाये जाने पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.07.2014 को जारी किया जिसका भी अभियुक्तगण ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार निदेशक / संचालकों द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के प्रावधानों का उल्लंघन कर हुए उक्त अधिनियम की धारा 63, 68, 628 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ? "

सुना गया। पत्रावली व विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

11. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में जो साक्ष्य सामग्री प्रस्तुत की गई है, उनमें गवाह पी.डब्ल्यू–1 इमरान अहमद सिद्दीकी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स ने प्रोस्पेक्ट्स दिनांक 12.09.2011 को जो आईपीओ के लिए परिवादी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था उसमें सूचित किया था कि कंपनी अपने विस्तार एवं विविधता के लिए आम जनता से एक करोड इक्विटी शेयर प्रत्येक शेयर साठ रुपये के हिसाब से साठ

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

करोड रुपये इकट्ठा करेगी और उक्त धनराशि अपने व्यापार के विस्तार एवं विविधता में लगायेगी। प्रोस्पेक्ट्स में दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही अक्टूबर 2011 तक पूरी होनी थी परन्तु निदेशक मंण्डल की एक मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में पारित मिनट्स के अनुसार कंपनी ने अन्य कंपनियों से लगभग साढ़े बारह करोड रुपये के ब्रिज लोन लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया। कंपनी के बैंक खाते की जांच करने पर पता चला कि कंपनी ने आईपीओ की साठ करोड की राशि में से लगभग पैंतालीस करोड रुपये की राशि अन्य कंपनियों/फर्मों को दिनांक 13.10.2011 को ट्रांसफर कर दी। कंपनी ने इंटर कॉरपोरेट डिपोजिट ली थी जिनका दिनांक 12.09.2011 के प्रोस्पेक्ट्स में कोई वर्णन नहीं है। कंपनी द्वारा आईसीडी के जरिये धनराशि इकट्ठा करने की तथ्यात्मक जानकारी जिसको प्रोस्पेक्ट्स में दिया जाना था। कंपनी द्वारा उक्त प्रकार से दिए गए आईसीडी एवं उनके पुनर्भुगतान के संबंध में उक्त प्रोस्पेक्ट्स में खुलासा नहीं करके तथ्य को छिपाया गया। इस कारण निवेशकों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी नहीं देकर तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन किए। जबकि इश्यू के उद्देश्यों से संबंधित विवरण में यह अंकित था कि वर्किंग कैपिटल मार्जिन हेतु रूपए 8.6 करोड एवं कंटीन्जेंसीज हेतु 2.8 करोड रूपए प्रस्तावित थे परन्तु आईसीडी के पुनर्भुगतान के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ 76 पर मैनेजमेंट इंट्रीम यूज ऑफ प्रोसीड्स में यह अंकित था कि ईश्यू में प्राप्त बकाया राशि का उपयोग विभिन्न प्रकार के निवेशक में किया जाएगा यद्यपि कम्पनी द्वारा इश्यू में प्राप्त राशि से आईसीडी का पुनर्भुगतान करना प्रोस्पेक्टस में दिए गए विवरणों में सम्मिलित नहीं था। प्रोस्पेक्टस में उपरोक्त प्रकार से दिया गया स्टेटमेंट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 65(1) के क्लॉज ए के अनुसार अन्दू की परिभाषा में आता है एवं प्रोस्पेक्टस में तथ्यात्मक रूप से गलत है जो धारा 628 के अन्तर्गत दण्डनीय है। आईपीओ फण्ड्स एवं इसके उपयोग से संबंधित स्टेटमेंट से यह प्रकट होता है कि कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस में दर्शायी गयी राशि के अनुसार आयातित एवं स्वदेशी

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

मशीनरी पर खर्च नहीं किया एवं झूठे कथन प्रोस्पेक्टस में दिए जो कि धारा 628 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं आज नहीं बता सकता कि प्रोस्पेक्टस पेश हुआ या पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। उनकी मीटिंग मैंने देखी है। यह सही है कि दिनांक 10.09.2011 को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ऑफ मीनिट्स नहीं देखे हैं। अजखुद कहा कि अधिकारी की रिपोर्ट में उनका उल्लेख है। परिवाद के पैरा नंबर 6 मेरे द्वारा पुर्नभुगतान के संबंध में प्रोस्पेक्टस में कोई खुलासा नहीं करने का तथ्य और मिसलिड किया का तथ्य लिखा है, यह सही है। मैं उक्त प्रकरण के संबंध में कभी व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के कार्यालय में नहीं गया हूं। जहां तक मुझे याद है न्यायालय में परिवाद पेश किया, उसके पहले कार्यवाही चल रही थी या पूर्ण हो गई थी। जहां तक मुझे याद है शेयर होल्डर ने प्रोस्पेक्टस की कम्पनी द्वारा कोई तथ्य छिपाये हो या झूठा कथन किया हो।

12. प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू–2 रमेश कुमार मीना ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान के कार्यालय में दिनांक 03.05.2012 से 12.04.2016 तक रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहा था। उसके पश्चात् मेरा इस कार्यालय से स्थानान्तरण हो गया था। मैसर्स तिजारिया पॉलीपाईप्स लि. परिवादी कार्यालय में पंजीकृत कम्पनी है जिसके निदेशक श्री आलोक जैन तिजारिया एवं अन्य (अभियुक्त सं. 1 से 6) हैं। उक्त कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ए–130(ई), रोड़ नं. 9डी, वी.के. आई. एरिया, जयपुर में स्थित है। अभियुक्तगण सं. 1 से 6 जिनसे उक्त शिकायत सम्बन्धित है, कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारी हैं। प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी के अनुसार ये कार्यवाही अक्टूबर, 2011 तक पूरी होनी थी परन्तु निदेशक मण्डल की एक मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में पारित मिनट्स के अनुसार कम्पनी ने अन्य कम्पनियों से लगभग साढ़े बारह करोड़ रूपये के लोन लेने के लिये प्रस्ताव पारित किया। कम्पनी के बैंक अकाउण्ट की जांच

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

करने पर पता चला कि कम्पनी ने आई.पी.ओ. की 60 करोड़ की राशि में से लगभग 45 करोड़ की राशि में से 25 करोड़ स्वयं तिजारिया पॉलीपाईप्स के करन्ट अकाउण्ट में और शेष राशि अन्य कम्पनियों/फर्म को दिनांक 13.10.2011 को ट्रांसफर कर दी। जैसा कि उपर वर्णित है इस प्रकार कम्पनी ने इन्टर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लिये लेकिन जिनका दिनांक 12.09.2011 के प्रॉस्पेक्टर में कोई वर्णन नहीं है। कम्पनी द्वारा आई.सी.डी. के जरिये प्रॉस्पेक्टर की दिनांक 12.09.2011 से पहले निर्णय लेना व धनराशि इकट्ठा करना एक तथ्यात्मक जानकारी थी जिसको प्रॉस्पेक्टर में दिया जाना चाहिये था। इसके विपरीत कम्पनी ने प्रॉस्पेक्टस लिखा कि उसने अपने कोई भी ब्रिज लोन आई.पी.ओ. द्वारा आने वाली धनराशि के विरूद्ध नहीं ले रखा है। ईश्यू के उद्देश्यों से सम्बन्धित विवरण में यह अंकित था कि वर्किंग कैपिटल मार्जिन हेतु रूपये 8.6 करोड़ एवं कन्टीन्जेन्सीज हेतु रू. 2.8 करोड़ प्रस्तावित थे परन्तु आई.सी.डी. के भुगतान के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी।

उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि अभियुक्त संख्या 1 से 6 के संबंध मे मुझे याद नहीं है कि कोई शिकायत मेरे कार्यालय मे प्राप्त हुई थी या नहीं। इस पत्रावली मे मैने सेबी मे प्राप्त शिकायत व उस कार्यालय के अनुसंधान रिपोर्ट मे पाया कि कंपनी के डायरेक्टर्स पर आई.पी.ओ. से प्राप्त/एकत्रित राशि का इन्साइडर ट्रेडिंग मे लगाया है। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि पत्रावली मे सलंग्न पत्र प्रदर्श पी. 3ए के पैरा 3 मेरे द्वारा यह वर्णन है कि सेबी ने अपने कार्यालय मे आई.पी.ओ. के समय इन्साइडर ट्रेडिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त की थी, इस पर सेबी ने 28.12.2011 को एकपक्षीय अंतरिम आदेश पास किया। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा की गई जांच केवल सेबी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर ही की गई है बल्कि यह है कि मंत्रालय द्वारा इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंटस व अन्य रिकोर्ड जिसमे मेरे कार्यालय मे फाइल की गई कंपनी की बैलेंस शीट व प्रोस्पेक्टस शामिल है, इनके संबंध मे जांच आदेश प्राप्त हुए और मेरे द्वारा जांच करके रिपोर्ट मंत्रालय मे भेजी गयी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का अनुसंधान से संबंधित आदेश दिनांक 06.09.2012 पत्रावली मे शामिल नही है।

प्रदीप कुमार, द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

प्रोस्पेक्टस दिनांक 12.09.2011 को कंपनी के डायरेक्टरो द्वारा साइन व जारी किया गया था और उसके पश्चात रजिस्ट्रार कार्यालय मे फाइल किया गया था। यह सही है कि कंपनी के निदेशक मंडल की मीटिंग 10.09.2011 मे पारित मिनिट्स न्यायालय पत्रावली मे शामिल नहीं किये हैं। यह कहना सही है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए कंपनी द्वारा लिये गये सभी निर्णय का डिसक्लोजर कंपनी द्वारा जारी किये गये प्रोस्पेक्टस मे उल्लेखित करना आवश्यक है। मुझे यह याद नहीं हैं कि दिनांक 10.09.2011 को लोन लेने का प्रस्ताव के कितने दिन बाद प्रोस्पेक्टस मेरे कार्यालय मे फाइल किया था। आई.पी.ओ. की 60 करोड की राशि मे से लगभग 45 करोड की राशि में से 25 करोड स्वंय तिजारिया पोली पाइप्स कंपनी ने अपने करंट अकाउंट में डलवाया और शेष 20 करोड लगभग की राशि अन्य कंपनी/फर्म को दिया। जो परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह मेरे द्वारा पढकर रजिस्ट्रार कार्यालय मे कार्यरत श्री इमरान सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा प्रस्तुत किया था। मुझे आज याद नही है कि आई.पी.ओ. की 60 करोड की राशि में से 45 करोड या 48 करोड की राशि ट्रांसफर की। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि 45 करोड 40 लाख 22 हजार 809 रूपये की राशि दिनांक 13.10.2011 को ट्रांसफर की गयी थी। परिवाद के इसी पैरे में कुल आई.पी. ओ. राशि 60 करोड मे से 48 करोड रूपये का वर्णन है। मुझे आज याद नही है कि मेरे द्वारा मुख्य परीक्षा मे 45 करोड की राशि ट्रांसफर करने तथा परिवाद के पैरा संख्या 6 मे वर्णित 48 करोड रूपये मे से 3 करोड रूपये के संबंध मे मैंने कोई जांच की या नहीं। मैंने मेरे ऑफिस मे कंपनी के प्रोस्पेक्टस प्राप्त होने से पहले कंपनी ने कोई लोन लिया हो और उस लोन को प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले चुका दिया हो, के संबंध में मैने जांच की थी। यह कहना सही है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने ब्रिज लोन लिया था जो प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले लिया था। मिनिटस मे ऐसी बात लिखी हो कि उक्त ब्रिज लोन आई.पी.ओ. की राशि के विरूद्व लिया जा रहा है तो इस बारे मे मुझे आज याद नही है। ब्रिज लोन का पुर्नभुगतान कब किया गया है यह आज मुझे आज जुबानी याद नही है लेकिन मैंने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

मे इसका उल्लेख किया है। मेरे द्वारा जिरह में बताया गया कि कम्पनी के विरूद्ध सेबी में जो इंक्वायरी लंबित थी, वह कम्पनी के निदेशकों के खिलाफ इनसाईडर ट्रेडिंग के संबंध में थी। यह बात सही है कि किसी भी कम्पनी के शेयरधारक ने कम्पनी के विरूद्ध शेयरों के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत नहीं दी थी।

13. प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू–3 बनवारी लाल शर्मा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान के कार्यालय में दिनांक 16.05.2012 से 16.06.2023 तक वरिष्ठ तकनीकि सहायक के पद पर कार्यरत रहा था।

इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि इस रिपोर्ट की प्रति व आदेश दिनांक 28.12.2011 को सेबी ने अपने पत्र दिनांक 24.01.2012 के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में सूचनार्थ भेजा और इस पर आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा गया। उक्त आशय का शिकायती पत्र पत्रावली में अलग से संलग्न नहीं है।

14. इस पत्रावली में विचारण न्यायालय के समक्ष जो परिवाद पत्र दिनांक 06.01.2015 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार जयपुर द्वारा पेश किया गया है, उसके पैरा संख्या–5 के मुताबिक मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड द्वारा दिनांक 12.09.2011 को कम्पनी के व्यवसाय के विस्तार व सुविधता हेतु परिवादी कार्यालय में प्रस्तुत किया और उसने प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड इक्विटी शेयर्स रुपये दस प्रत्येक का, जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रुपये साठ का आईपीओ कुल रुपये साठ करोड का जारी करना बताया है और इस प्रोस्पेक्ट्स का निरीक्षण करने पर कम्पनी रजिस्ट्रार ने यह पाया कि आईसीडी एवं उनके पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण की कम्पनी ने अपने प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं कर तथ्यों को छिपाया है। इस कारण निवेशिकों को तथ्य छिपाकर झूठे कथन कम्पनी अधिनियम की धारा 628 के तहत किए हैं। इसके पश्चात जो आरोप परिवाद पत्र प्रिचार्ज एवीडेंट लेकर के विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

और उसमें परिवाद पत्र के उपरोक्त तथ्यों के अलावा प्रोस्पेक्ट्स में दर्शायी गई राशि के अनुसार आयतित एवं स्वदेशी मशीनरी पर अपीलार्थीगण जांच नहीं करना और विवरण में सही तथ्य अंकित नहीं करना पाया गया है। चूंकि परिवाद पत्र में यह लिखा हुआ है कि यह सभी कार्य कम्पनी निदेशकों द्वारा किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके सम्बन्ध में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखा है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 में कम्पनी शब्द नहीं लिखा हुआ है लेकिन इस न्यायालय के मत में यह अपराध कम्पनी का गठन कर के ही अपीलार्थीगण द्वारा करना बताया गया है तो फिर बिना कम्पनी के मात्र निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से परिवाद में पक्षकार बनाना कम्पनी अधिनियम के उद्देश्यों को रोकता है।

15. दोनों पक्षों की ओर से जो लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए हैं, उनमें विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश के सम्बन्ध में यदि हम विचार करें तो परिवादी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा ब्रिज लोन लेकर के कम्पनी में प्राप्त हुई राशि को ही अपने उपयोग के लिए खर्च किया गया है, जबकि ऐसा कोई आरोप ब्रिज लोन का आरोप पत्र में अपीलार्थी पर नहीं बताया गया है।

16. इस सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 निम्न प्रकार है :–

63- CRIMINAL LIABILITY FOR MIS-STATEMENTS IN PROSPECTUS

(1) Where a prospectus issued after the commencement of this Act includes any untrue statement every person who authorised the issue of the prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to 1 (fifty) thousand rupees or with both unless he proves either that the statement was immaterial or that he had reasonable

प्रदीप कुमार/द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

ground to believe] and did up to the time of the issue of the prospectus believe] that the statement was true.

(2) A person shall not be deemed for the purposes of this section to have authorised the issue of a prospectus by reason only of his having given (a) the consent required by section 58 to the inclusion therein of a statement purporting to be made by him as an expert or (b) the consent required by subsection (3) of section 60.

68- PENALTY FOR FRAUDULENTLY INDUCING PERSONS TO INVEST MONEY

Any person who either by knowingly or recklessly making any statement promise or forecast which is false, deceptive or misleading, or by any dishonest concealment of material facts, induces or attempts to induce another person to enter into or to offer to enter into (a) any agreement for or with a view to acquiring disposing of subscribing for or underwriting shares or debentures or (b) any agreement the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit to any of the parties from the yield of shares or debentures or by reference to fluctuations in the value of shares or debentures shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

628- PENALTY FOR FALSE STATEMENTS

If in any return, report, certificate, balance sheet, prospectus, statement or other document required by or for the purposes of any of the provisions of this Act, any person makes a statement (a) which is false in any material particular] knowing it to be false or (b) which omits any material fact] knowing it to be material] he shall] save as otherwise expressly provided in this Act, be

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.

उपर्युक्त धाराओं के मुताबिक किसी भी शेयरधारक या पब्लिक व्यक्ति की कोई शिकायत अपीलार्थीगण के विरूद्ध परिवाद पत्र या जांच निरीक्षण रिपोर्ट में नहीं बताई गई है।

17. कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध सेबी में भी कार्यवाही हुई है तो फिर एक ही अपराध के लिए दो विचारण या दण्ड अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता। इसका भी कोई कारण कम्पनी रजिस्ट्रार की ओर से या उनके अधिवक्ता की ओर से नहीं बताया गया है। एक तरफ तो अपीलार्थीगण को कम्पनी की आईसीडी के आरोप में दोषसिद्ध करना बताया गया है और दूसरी तरफ, ब्रिज लोन का आरोप लगाया गया है, जो कि दोनों ही अलग–अलग तथ्य हैं। आईसीडी एवं उनके पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में प्रोस्पेक्ट्स में भी कोई खुलासा नहीं करना और उसकी किसी पब्लिक के व्यक्ति की शिकायत पत्रावली पर नहीं होना स्वयं परिवादी कम्पनी के गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है।

18. धारा 628 कम्पनी अधिनियम में यदि अपराध किसी सब्सक्राइबर द्वारा किया जा सकता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कमपनी इस धारा के तहत परिवाद पेश करने के लिए सक्षम नहीं है। प्रोस्पेक्ट्स में कोई कथन कम्पनी द्वारा नहीं करना या उसमें किए गए तथ्यों का पालन नहीं किया जाना दोनों अलग–अलग बिन्दु है। वर्ष 2011 में अभियुक्तगण द्वारा जो आईपीओ लेते समय प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किया जाना बताया गया है और उसमें दी गई राशि का दुरूपयोग किया जाना बताया गया है, उसका भी कोई शेयरधारक का या आईपीओ में राशि लगाने वाले पब्लिक व्यक्ति का स्टेटमेंट या शिकायत विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं थी। कम्पनी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत अपराध तभी बनता है, जब कोई प्रोस्पेक्ट्स में अलग व झूठे कथन करके कोई मैटेरियल फैक्ट्स जानबूझ कर छिपाए गए

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

हों और सब्सक्राइबर जानबूझ कर झूठे कथन किए गए हो। मात्र प्रोस्पेक्ट्स की शर्तों की पालना नहीं करना इस धारा के तहत अपराध को सिद्ध करता है। जो अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत **Dr. T. H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & Anr. (2014) 182 Comp. Cas 13 IJ reliance place** पेश किया है, उसमें पैरा संख्या 21 के मुताबिक एवं न्यायिक दृष्टांत न्यायिक दृष्टांत **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India (2021 SCC Online SAT 263)** के मुताबिक धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम के तहत कम्पनी के निदेशकों को तभी लाईबल माना जा सकता है, जब उन्होंने अलग–अलग कार्य प्रोस्पेक्टस के विरूद्ध तथ्यों को छिपाते हुए दिए गए हो, इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत **Dr. T. H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & Anr. (2014) 182 Comp. Cas 13 IJ reliance place** के पैरा संख्या 21 में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:–

21. Curiously, this is an activity of the company after receipt of money through public issue. I am afraid that if the company did not invest the monies in the manner as promised in the prospectus, it cannot be considered to be a violation of statement in the prospectus. The issuance of a statement through the prospectus and not abiding by the promises made in the prospectus are two distinct activities altogether So far as sections 63, 68 and 628 of the Act are concerned, the directors become liable for punishment if the statements in the prospectus are not true and not if the statements made in the prospectus have not been adhered to by the company. I therefore, regret my inability to agree with the contention of the learned Assistant Solicitor General that the statements made in the prospectus have not been carried out, which is evident through various subsequent balance sheets and that petitioners accused No.

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

2, as a director of accused No. 1 company consequently is liable for punishment under sections 63, 68 and 628 of the Act.

19. विचारण न्यायालय ने जो अपने निर्णय पैरा संख्या 12 लगायत 18 में गवाह पी.डब्ल्यू–1, 2 व 3 की साक्ष्य व प्रदर्श पी–2 प्रोस्पेक्टस का विवरण देते हुए निष्कर्ष पारित किया है, उस पर यदि हम विचार करें तो ब्रिज लोन का कोई आरोप अपीलार्थीगण के विरूद्ध विरचित नहीं किया गया है। किसी भी सब्सक्राइबर, निदेशक या शेयरधारक की ऐसी कोई शिकायत अपीलार्थीगण के विरूद्ध नहीं की गई है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी कम्पनी के प्रोस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन किए गए हैं, जिससे वे भुलावे में पड़ गए हों। इसके लिए कठोर उत्तरदायित्व एवं आपराधिक आशय का होना आवश्यक है, जिसके लिए माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **(2014) 1 ALT (Crl) 67 Dr. T.H. Chowdary Vs The Registrar of Companies & The State or Andhra Pradesh** में यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

"Strict Liability - Whether general allegations against all directors suffice for prosecution- Section 63 imposes strict liability on anyone authorising a prospectus with unture statements, unless specific defenses are prowen- Section 68 and 628 require mens rea, meaning knowledge or recklessness for false statements or dishonest concealment. Where only general accustions are made against directors without specific overt acts demonstrating their direct involvement or required mens rea, prosecution under Sections 68 and 628 is not appropriate. Howewer, strict liability under Section 63 generally requires a factual determination at trial regarding the director's role and knowledge, if not adequately established otherwise."

प्रदीप कुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

20. तथ्य यह भी है कि परिवादी कम्पनी ने अपीलार्थीगण की सेबी में शिकायत करना बताया है और वहां पर उनको 5 वर्षो तक कम्पनी का व्यापार करने से रोक भी रखा है। एक ही अपराध के लिए अपीलार्थीगण को दो बार दण्ड नहीं दण्डित नहीं किया जा सकता। जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 व सीआरपीसी की धारा 300 भी सन्दर्भित है, जिसमें दोहरे दण्ड के सिद्धान्त के मुताबिक आपराधिक कार्यवाही में एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकता।

21. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टांत **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India (2021 SCC Online SAT 263)** में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:–

"20. If the IPO proceeds were not utilized in the manner stated in the prospectus it doesnot mean that the subsequent action taken by the Company indicates that there was a misstatement in the prospectus. At best one could come to the conclusion that there was a violation of the terms and conditions of the prospectus with regard to the use of funds.

25. The finding given by the WTM for usage of the word 'corporate' in the resolution of the Board of Directors to indicate that the disclosures so made lacked material particulars and were untrue and inadequate and further that such misstatement in the prospectus was deliberate and part of a larger design to come out with an IPO and divert the IPO proceeds through ICDS to group companies from the very inception is patently perverse apart from being based on surmises and conjectures. In our opinion, a subsequent event-decision by the Company cannot lead to an adverse inference being drawn nor can it lead to a conclusion that the prospectus of the Company was misleading the subscribers. Such finding is based on no evidence. If a statement made in the

प्रदीप कुमार-द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

सत्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
सत्य / सी.जे.एम. कोर्ट
सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

prospectus is not adhered to by the Company it does not become a misstatement. At best it can be a case of the Company violating the terms and conditions of the prospectus. Thus, the finding that the disclosures made in the prospectus were deliberately lacking in material particulars and were inadequate is patently erroneous.

22. अन्य तथ्य यह है कि प्रोस्पेक्टस से पहले कम्पनी को ऋण राशि वास्तव में प्राप्त हो गई हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादीपक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है। कौन–से तथ्यों को प्रोस्पेक्टस में अपीलार्थीगण द्वारा छिपाया गया है और उसके आधार पर आईसीडी व ब्रिज लोन का दुरूपयोग इनके द्वारा किया गया है, इसका भी विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्ध साक्ष्य में स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। प्रोस्पेक्टस में आईसीडी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची II में प्रॉस्पेक्टस में केवल 5 वर्ष के दौरान डेटा का ही खुलासा करना अनिवार्य है और दिनांक 23.05.2011 व 09.06.2011 को प्राप्त किए गए कथनों पर भी अपीलार्थीगण का बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 10.09.2011 पर लागू होता है। इस सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 1956 की Schedule II में सम्मिलित प्रॉस्पेक्टस के नियम के तहत Financial Information के अंतर्गत उप–धारा 2 ए और बी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि :–

2. If the Company has no subsidiaries, the report shall-a so far as regards profits and losses, deal with the profits or losses of the company (distinguishing items of a non-recurring nature) for each of five financial years immediately preceding the issue of the prospectus and b so far as regards the assets and liabilities, deal with the assets and liabilities of the company at the last date to which the accounts of the company were made up.

प्रदीप कुमार द्वितीय
द्वितीय न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

23. परिवाद पत्र कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2015 को प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें देरी का भी कोई कारण विचारण न्यायालय के समक्ष कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा नहीं बताया गया है। जो जांच रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी ने पेश की है और इसके सम्बन्ध में गवाह ने अपनी जिरह में यह कहा है कि उसको यह ध्यान नहीं है कि कंपनी की किसी क्रिया के कारण किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान हुआ हो और उनको कोई शिकायत भी किसी की नहीं मिली थी। उसको यह भी याद नहीं है कि कम्पनी ने अन्य संस्थाओं से ऋण लिया था। उन राशियों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया या नहीं अर्थात विचारण न्यायालय के समक्ष इन गवाहों को यह नहीं बताया गया कि कम्पनी के कार्य से किसी शेयरहोल्डर को हानि हुई है। परिवादी कम्पनी अधिनियम के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को संदेह से परे अपीलार्थीगण को साबित करना था, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के मुताबिक नहीं किया गया है तथा जैसा कि हमने उपर विवेचन किया है, अपीलार्थीगण सेबी में कार्यवाही होना बताया गया है, प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 149 पर कम्पनी द्वारा निदेशकों की उधार लेने की शिकायत का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार बोर्ड के निदेशक 20 लाख रूपए तक की सीमा का लोन ले सकते हैं। परिवादी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 65 के तहत परिवाद दायर नहीं किया गया है, इसलिए परिवादी के कथनों को रिकॉर्ड पर लिया जाना भी विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। न तो कोई पब्लिक व्यक्ति की शिकायत है, ना किसी निदेशक द्वारा या अपीलार्थीगण द्वारा कम्पनी में जमा होने के पश्चात दुरूपयोग करने का कोई तथ्य पब्लिक व्यक्ति का है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and Exchange Board of India (2021 SCC Online SAT 263)** वाला निर्णय भी महत्वपूर्ण है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य पाया जाता है।

प्रदीपकुमार द्वितीय
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर
सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

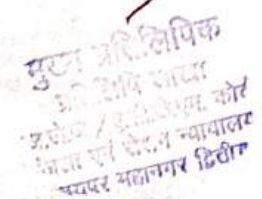

24. अतः इन सब परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 17.03.2026 अपास्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

25. परिणामतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **आलोक जैन तिजारिया वगैरह** की ओर से प्रस्तुत अपील विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनांक 17.03.2026 एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में धारा 437 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरन्तर रहे।

26. पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को अपीलीय आदेश की प्रति के साथ प्रेषित की जावें।

(प्रदीप कुमार द्वितीय)
न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण) एवं
अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय

27. आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीप कुमार द्वितीय)
न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण) एवं
अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
(जजेज/ए.डी.जे.एस. कोर्ट)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय